



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2015/माघ 1, 1936

No. 20]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2015/MAGHA 1, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

अंतिम जांच परिणाम

विषय : नार्वे तथा मैक्सिको के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट/इमल्शन रेजिन के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

फा.स.14/5/2013-डीजीएडी.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है), को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में मै0 कम्प्लैस्ट सनमार लिमिटेड चेन्नई (जिसे आगे "आवेदक या याचिकाकर्ता" कहा गया है) का एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें मैक्सिको और नार्वे (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित "पॉलीविनायल क्लोराइड पेस्ट/इमल्शन रेजिन" (पीवीसी पेस्ट रेजिन) जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है, के पाटन का आरोप लगाया गया था ।
- जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में जांच शुरू करने का निर्णय लिया ।
- पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार प्राधिकारी ने जांच शुरुआत की कार्यवाही से पूर्व आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित नार्वे और मैक्सिको के दूतावास को अधिसूचित किया ।
- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए प्राधिकारी ने 22 जनवरी, 2014 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।
- प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके व्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएशनों को भेजी तथा उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

6. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों को भी भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी।
7. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावास को भेजी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं।

इनिओस नार्गे एसएस रेफनेस एन-3966 स्टेथैले नार्वे	मैक्सीकैमकार्पोरेटिवो रियोसान जेवियर नं. 10, क्रैक्सियनामिटो विवेरोस डैल रियो, लालनेपेंटला, एडो डि मैक्स. सी. पी. 54060, मैक्सिको
---	--

9. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में केवल मैक्सीकैम रेजिनास विनिलिकास एसए डी ई सी वी, मैक्सिको ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।
10. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं।

अकजो नोबल कोटिंग्स प्रा0 लि0 62 पी होसकोटे इंडस्ट्रियल एरिया पिलगंगा कर्नाटक-562 114	अलेपे कंपनी लि0 पो.बा.सं.2602, टेक हाउस, अलेपे केरल
अनाबॉर्ड एसेक्स इंडिया प्रा0 लि0 1 एफ डेव रेजेंसी, प्रथम मेन रोड, गांधी नगर, चेन्नई 20	क्रिएटिव वर्ल्ड 11-12, दूसरा तल, निर्माण इंडस्ट्रियल इस्टेट न्यू लिंक रोड विलेज, चिंचोली मलाड (पं.) मुंबई
डी सी मिल्स (प्रा.) लि0 पो.बाँ. नं.160, कलावूर अलेप्पे, केरल	डीआरजी लैडर प्रा0 लि0 कराडपुदूर, त्रिशूर
इफलैक शर्मा इंडिया लि0 एक्सल ईस्ट, विवेकानंद रोड, गोरेगांव, मुंबई 400 062	फेनेर कन्वेयर बेल्टिंग प्रा0 लि0 मदुरई-डिंडीगुल रोड, नगारी, वाडीपट्टी तालुक, मदुरई 625 221, तमिलनाडु
फेनोप्लास्ट लि0 165 166 नंदगांव विलेज, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश	हलोल लेदर क्लॉथ लिमिटेड 7-ए, धर्मसी क्रॉस स्ट्रीट भेंडी बाजार, मुंबई 400003
हेंकल टेरोसन इंडिया (प्रा0) लि0 74, इंडस्ट्रियल डेप. कॉलोनी महरोली रोड, गुडगांव, हरियाणा	हिंदुस्तान सील्स लि0 बीकानेर बिल्डिंग, तीसरा तल, 8/1, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता
इंटरनेशनल कन्वेयोर लि0 ई-39, एमआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, चिकाथना, औरंगाबाद- 431210	जच इंडस्ट्रीज लि0 5105 ब्लॉक डी – गली 1 – कृष्ण नगर करोल बाग, नई दिल्ली- 110 005
केराफाइबरटेक्स इंटरनेशनल प्रा0 लि0 53-57 किन्फ्रा इंडस्ट्रियल पार्क, किसुमागिरी पो.ऑ. काकनूड, कोचीन 682030	केरला बलेर्स लि0 पो.बाँ. 28 3, एलेप्पे, केरल
मयूर यूनीकोटर्स लि0 रोटरी भवन चर्च रोड, जयपुर	ओसवाल केबल प्रोडक्ट्स ए 93/1 वजीरपुर- 52 वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110052
फिरोज सेतना प्रा0 लि0 101-ए, रोड नं.16	पोलमन इंडिया लि0 मार्कर चम्बस-V

वागल इंडस्ट्रियल इस्टेट थाने	नरीमन प्वाइंट बॉम्बे- 400 021
पोलीनोवा इंडस्ट्रियल लि0 92-101, कुंडेम इंडस्ट्रियल इस्टेट, पनजी पोंडा रोड, कुंडाइम, गोआ-403110	प्रीमियर पॉलीफिल्म लि0 305 एलिट एचएस 36 कम्युनिटी सेंटर कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली
रोटो स्क्रीनटैक लि0 301, सिल्वर चैम्बर टैगोर रोड, राजकोट 360002	शिवम टैक्सटाइल ए 1/126 जनकपुरी- नई दिल्ली 110 058
साइल ताइजिट लि0 58 मोतीलाल गुप्ता रोड, बरीसा इंडस्ट्रीज 700008 कोलकाता	स्नेहा विनायल प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 इंडस्ट्रियल डेव. एरिया रेनीगुंटा 517520 आ.प्र.
एसआरएफ लि0 वीरालीमाला 621316, तमिलनाडु, भारत	टेक्सॉन इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0 19 मार्शलस रोड एगमोर, चेन्नई 8
त्रावणकोर कोकोटफ्ट प्रा0 लि; कयर पार्क, थिरुविज्ञा, चेरथाला-688 539, केरल	यश मार्केटिंग एजेंसी 1/2 चित्रा-आमी अपार्टमेंट, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380009
वैली वेलवेट्टे (प्रा0) लि0 1/2 चित्रा-आमी अपार्टमेंट,, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380009	ओम विनायल प्रा0 लि0 4- भूतल, व्यापार भवन, 49, पी डी मेलो रोड, कार्नाक बंडर, मुंबई-400009
गोमती एक्पोर्ट 410, 121/127 – मांडवी नवजीवन, मुंबई- 400003	आरएमजी पॉलीविनायल इंडिया लि0 302, एलिट हाउस, 36, कम्युनिटी सेंटर, जमरूदपुर, नई दिल्ली 110048
वीके विनायल 4283 (ए)/4 जय माता मार्किट, त्रिनगर, नई दिल्ली -110035	यूनाटेड डेकोरेटिव प्रा0 लि0 46/3, Site-IV, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद-201010, गाजियाबाद, उ0प्र0
बी.बी. ट्रेडिंग कं0. बी -10, शू मार्केट, दिल्ली 110035	इन्कम केबल्स प्रा0 लि0 ए-1/73 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली 110029
कुंदन राइस मिल्स लि0. डी-16,सिटी चैम्बर्स प्रशांत विहार, दिल्ली 110085	लकी प्लास्ट लि0. 6-बी/3 एन.ई.ए. ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली
मैन्सफील्डस केबल्स लि0, बी 41, सेक्टर-6, नोएडा 201301	मार्वल विनायल्स लि0 जी-73, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001
नोवूवेल्ले क्रेडिट्स प्रा0 लि0 4316/17-तीसरा तल, सैनी मार्किट,	'ओरिएंट ओवरसीज प्रा0 लि0, C-15,एसएमए को0 ऑप इंडस्ट्रियल इस्टेट, जी.टी. करनाल रोड,

बहादुरगढ़ रोड, नई दिल्ली 110006	दिल्ली 110033
ओसवाल विनायल इंडस्ट्रीज लि0 2/49, रूप नगर, दिल्ली 110007	पेरामाउंट कम्युनिकेशन्स लि0. एम-4, बाहुबली. 59/17, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली
पूनम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स 76, शाहजादा बाग एक्सटेंशन. ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली 110035	आर.के.इंडस्ट्रीज सी -595, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल पार्क, नरेला, दिल्ली 110040
आर.के.ट्रेडिंग कंपनी दूसरा तल, सैनी मार्केट, 3007, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली 110006	आर. एस. ओवरसीज प्रा0 लि0. एफ-31 – भगवंत सिंह मार्केट. बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली
रेलीसन इलेक्ट्रिकल्स प्रा0 लि0 प्लॉट नं0.164(1310), वीपीओ. 'मनपुरा, तहसील नालागढ़, जिला-सोलन	'रेस्पॉसिव इंडस्ट्रीज लि0 महागांव रोड, बेटेगांव बोईसर ईस्ट, 'तालु-पालघर, जिला-थाणे, 'महाराष्ट्र
रिटजी इंटरनेशनल प्रा0 लि0 डी-832, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110065	रॉयल इंडस्ट्रीज जी-1085, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, नरेला, दिल्ली
एस.के.ट्रेडर्स के.नं0.358, गली नं0 2, कुशक रोड-2, सरूप नगर, दिल्ली	एस एल एफ.(इंडिया) लि0 6, शहगल कॉलोनी, कोर्ट लेन, दिल्ली 110054
एस.आर. पॉलीकेम 4311/5-जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली 110035	शील पॉलीटेक्स 10761-62, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली 110055
शील विनायल एच-41, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन., नई दिल्ली 110016	शिव शक्ति इंडस्ट्रीज डी-7, केएच. सं.30/23, नागली पूना एक्सटेंशन, दिल्ली 110036
सनी कैमिकल प्रा0 लि0. C-151, प्रीत विहार, दिल्ली	सुपीम इलेक्ट्रिकल्स 'डी-33, बाली नगर, नई दिल्ली
सुसी कैम् प्लास्टिक इंडस्ट्रीज 72-बी, शाहजादा बाग एक्सटेंशन., ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली	तेरा इंडिया एफ -118, अशोक विहार, फोस -I, दिल्ली 110052
त्रिशाला विनयल ट्यूब्स प्रा. लि0 4.A रेस कोर्ट त्रिशाला हाऊस, देहरादून 248001	अल्टीमेट इंडस्ट्रीज लि0 ई -260, ग्रेटर कैलाश -II, नई दिल्ली
'वीके पॉलीकोट्स लि0 . फ्लैट नं0 7डी, 7वां तल, हंसालय भवन, 15 , बाराखंभा रोड, नई दिल्ली	बीमा इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स 307/3 शाहजहांबाग ओल्ड, रोहतक रोड, दिल्ली 110035

अक्षत प्लास्टिक प्रा0 लि0, 4648/15, जयमाता मार्केट, त्रिनगर, नई दिल्ली 110035	विपिन पॉलीमर्स प्रा0 लि0. 193, भागीरथी अपार्टमेंट्स, 'सेक्टर-IX, रोहणी, दिल्ली
एरीनिट्स सेल्स प्रा0 लि0., 603, निर्मल टॉवर, 26 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001	बंसल कैमिकल्स (भारत) एफ/14, महावीर चैम्बर्स, 103, नैनीप्पा निकोटिन स्टील चेन्नई 600003

11. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

- क. मै0 जेश इंडस्ट्रीज लि0
ख. मै0 जैश प्लास्टिक्स इंडिया लि0
ग. मै0 पोलिनोआ इंडस्ट्रीज लि0
घ. मै0 एस एस एफ पोलिमर्स लि0
ङ. मै0 मयूर यूनीकोटर्स लि0
च. इंटरनेशनल कन्वेयर्स लि0

12. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति विचाराधीन उत्पाद की निम्नलिखित प्रयोक्ता एसोसिएशनों को भी भेजी गई थी।

लैडर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एलसीपीएमए) 5105 ब्लॉक डी गली 1, कृष्ण नगर, करोल बाग, नई दिल्ली 110 005	द ऑल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) 6/38, विक्रम बिहार, लाजपत मार्केट -4, दिल्ली- 110024
ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (ए आई एफ पी आई) कीर्ति नगर, नई दिल्ली 110015	यूपीवीसी विंडो एंड डोर मैनु0 एसो0 (यूडब्ल्यूडीएमए) मार्फत फैनेस्टा, प्लॉट # 52, सेक्टर 32, इंडस्ट्रियल एरिया, गुडगांव- 122003, हरियाणा, भारत.

13. इसके उत्तर में मै0 लेडर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अनुरोध दायर किए।

14. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा गया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान जांच परिणामों में ध्यान दिया गया है।

15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने के उपरान्त प्राधिकारी ने जहां अपेक्षित हुआ है, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

16. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे सूचना मांगी गई थी।

17. जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्यौरों की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीवीईसी) से अनुरोध किया गया था।

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुसार क्षति रहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा गया है) की गणना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

19. यह जांच 1 अप्रैल, 2012 से 30 जून, 2013 (15 माह) की अवधि (जिसे आगे 'जांच अवधि' अथवा 'पीओआई' कहा गया है) के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 की अवधि और जांच अवधि शामिल थी।

20. नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने हेतु प्राधिकारी ने 29 सितंबर, 2014 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचना के लिखित अनुरोध दायर करें हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों/सूचना के बारे में खंडनात्मक तर्क/उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। निदिष्ट प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त विचारों पर समुचित रूप से विचार किया है।

21. जांच की कार्यवाही के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर प्राधिकारी ने उस सीमा तक समुचित विचार किया है, जिस सीमा तक उन्हें साक्ष्य के साथ समर्थित किया गया है और उन्हें वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माना गया है।

22. घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देशों के सहयोगी निर्यातक/उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।

23. अमरीकी डॉलर को रुपए में परिवर्तन हेतु विनिमय दर जांच अवधि के लिए सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार 54.86 रुपए मानी जाती है।

24. *** यह चिन्ह इस अंतिम जांच परिणाम में आवेदकों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

क. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

क.1 निर्यातकों, आयातकों उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

क.2 घरेलू उद्योग के विचार

25. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के मुद्दे के बारे में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

क. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद 'पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट/इमल्शन रेजिन' है, जिसे 'इमल्शन पीवीसी रेजिन' भी कहा जाता है। पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन विनायल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) से किया जाता है। संबद्ध वस्तु को उसके के-मूल्य के आधार पर अलग-अलग ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है। संबद्ध वस्तु के मुख्य प्रयोग उसके के मूल्य पर निर्भर होते हैं। वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तु के सभी ग्रेड शामिल हैं। पीवीसी पेस्ट रेजिन के सामान्य उपयोग कृत्रिम चर्म (रेक्सिन, कोटेड फैब्रिक्स, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग्स, खिलौनों, आटोमोटिव सीलेंट, आसंजकों आदि) के उत्पादन में होता है।

ख. विचाराधीन उत्पाद का सीमाशुल्क वर्गीकरण जांच में महत्व एवं सरोकार का मामला रहा है। निदिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ से किसी संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पूर्ण की गई पूर्ववर्ती जांच को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण 3904 माना है।

26. मै0 इनिओस क्लोर विनायल्स (उत्पादक/निर्यातक) नार्वे के विचार

क. इनिओस ने भारतीय बाजार को 3 प्रमुख उत्पादों, पेवीकों पी 11, पेवीकों पी 15 और पेवीकों पी 1412 की आपूर्ति की थी। इनिओस ने एक व्यापारी को 'स्कैप सामग्री' की अल्प मात्रा में बिक्री भी की है जिसकी बिक्री न्यूनतम स्तरों पर उनके प्रयोग में मिश्रित करने हेतु अंतिम ग्राहकों को की जाती है।

ख. इनिओस भारत में एक ग्राहक को पी 1412 की आपूर्ति करती है जो कई बाजारों के लिए बेल्टिंग का विनिर्माण करता है। पी 11 और पी 15 की बिक्री कृत्रिम लैडर जैसे सामान्य प्रयोगों हेतु एक 'वस्तु' उत्पाद के रूप में की जाती है। कुल भारतीय बाजार 100, 000 मी.ट. वार्षिक अथवा उससे अधिक होने का अनुमान है और इसमें वृद्धि हो रही है।

27. मै0 इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड (आयातक के विचार)

क. आवेदक ने मै0 फिनोलैक्स इंडस्ट्रीज लि0 के समर्थन का दावा किया है। तथापि, उक्त अनुबंध आवेदन में नहीं है। क्षति की पुष्टि हेतु प्रदान किया गया कोई आंकड़ा फिनोलैक्स से नहीं लिया गया है। इस प्रकार आवेदन के लिए फिनोलैक्स का समर्थन संदिग्ध है।

क.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन' है जिसे 'इमल्शन पीवीसी रेजिन' भी कहा जाता है और इसका उल्लेख पीवीसी पेस्ट रेजिन (जिसे आगे संबद्ध उत्पाद अथवा संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के रूप में किया जाता है। पीवीसी रेजिनों के प्राथमिक रूप से दो प्रकार हैं अर्थात् पीवीसी पेस्ट रेजिन और पीवीसी सस्पेंशन रेजिन। पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन के सभी प्रकार, जिन्हें इमल्शन पीवीसी रेजिन भी कहा जाता है और जिनका उल्लेख पीवीसी पेस्ट रेजिन के रूप में किया जाता है, वर्तमान जांच की विषय वस्तु है और ये विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं। तथापि, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन, पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन, पीवीसी पेस्ट रेजिन के कोपॉलीमर और बैटरी सेपरेटर रेजिन इस जांच के क्षेत्र और दायरे से बाहर हैं।

29. पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन विनायल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) से किया जाता है। वीसीएम का उत्पादन ईडीसी के प्रयोग से किया जाता है जिसके लिए बाद में प्रमुख उत्पादों में से एक उत्पाद के रूप में क्लोरीन की जरूरत होती है। संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिक्री सफेद/भूरे रंग के पाउडर के रूप में की जाती है। संबद्ध वस्तु के गुणधर्मों का वर्णन के-मूल्य, अंतरनिहित विस्कोसिटी, पार्टिकल साइज प्रतिधारण, उष्मा हानि, आरंभिक वीएफ आदि के रूप में किया जाता है।

30. संबद्ध वस्तु अधिनियम के अध्याय 39 के उपशीर्ष सं0 3904 के अंतर्गत आती है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

31. यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता दोनों का अदल-बदल कर उपयोग कर रहे हैं। जांच के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित अथवा वहां उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र अथवा समान वस्तु के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई है।

ख. घरेलू उद्योग का क्षेत्र तथा आधार**निर्यातकों, आयातकों उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

32. हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार उल्लेख किया है:-

घरेलू उद्योग के विचार

33. घरेलू उद्योग ने आधार के मुद्दे के बारे में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :-

- (i) यह याचिका कैमप्लास्ट सनमार लि0 द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अलावा भारत में पीवीसी पेस्ट रेजिन का एक और उत्पादक अर्थात् मै0 फिनोलैक्स इंडस्ट्रीज लि0 है।
- (ii) जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता कंपनी ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही कोई खास निर्यात किया है।
- (iii) याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा भाग बनता है; याचिकाकर्ता के घरेलू उत्पादन का हिस्सा समान उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से काफी अधिक बनता है और यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनी पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

34. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(ख) - "घरेलू उद्योग" से ऐसे घरेलू निर्माता अभिप्रेत हैं जो समान वस्तु के विनिर्माण में अथवा उससे सम्बद्ध किसी भी क्रियाकलाप में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं अथवा वे निर्माता जिनका उस वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बैठता है इसमें ऐसे निर्माता शामिल नहीं होंगे जो कथित रूप से पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित है या स्वयं उसके आयातक हैं। ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शब्दों का अर्थ शेष निर्माताओं का उल्लेख करने के रूप में निकाला जाएगा।"

35. यह याचिका मै0 कैमप्लास्ट सनमार लि0 चेन्नई द्वारा दायर की गई है। भारत में संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक अर्थात् मै0 फिनोलैक्स इंडस्ट्रीज लि0 है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 फिनोलैक्स इंडस्ट्रीज लि0 ने यद्यपि, याचिका का समर्थन किया है, तथापि, याचिकाकर्ता नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में स्वयं भी घरेलू आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। याचिकाकर्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वह विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक कंपनी नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदक उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

ग. अन्य अनुरोध

निर्यातकों, आयातकों उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

36. इन मुद्दों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :

आयातकों के विचार

- (क) मै0 बंसल कैमिकल्स (भारत) ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने नॉर्वे या मैक्सिको से किसी पीवीसी का आयात नहीं किया है और यह कि उन्होंने दुबई के मूल के केवल ** रसियन का आयात किया है।
- (ख) मै0 एसआरएफ ने उल्लेख किया है कि उन्होंने मैक्सिको और नार्वे के मूल के या वहां से निर्यातित पीवीसी/इमल्शन रेजिन का आयात नहीं किया है।
- (ग) मै0 लैडर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैनु एसोसिएशन (एलसीपीएमए) ने यह उल्लेख किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क मूल कच्ची सामग्री पर लगाया जाता है तो यह कच्ची सामग्री महंगी हो जाएगी और लघु उद्योगों द्वारा निर्मित तैयार माल भी आयातित तैयार माल की तुलना में महंगा हो जाएगा। अंततः लघु उद्योग अव्यवहार्य बन जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग बंद हो जाएंगे। पीवीसी रेजिन के आपूर्तिकर्ता, चाहे वे कोरिया में हों या यूरोप में, बड़ी पैट्रोसायन कंपनियां हैं और भारतीय बाजार बहुत छोटा है। अतः पाटनरोधी शुल्क का वास्तविक रूप से नुकसान उठाने वाले विदेशी आपूर्तिकर्ता नहीं होंगे अपितु लघु एवं असंगठित क्षेत्र में भारतीय पीवीसी चर्म वस्त्र विनिर्माता इकाइयां होंगी।

मै0 मैक्सीकैम रेजिनास विनिलीकास, एस.ए. डि सी.बी. (उत्पादक/निर्यातक) मैक्सिको के विचार

- (क) प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में प्रस्तावित जांच अवधि में अंतर है और वह घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में सुझाई गई अवधि है।
- (ख) घरेलू उद्योग एक आदतन सुरक्षा की मांग करता है और वह आक्रामक कर प्रणाली के जरिए अक्षम होने के बाद भी अनुचित सहायता प्राप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का दुरुपयोग करता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

37. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है और भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति बहाल करना है जो देश के सामान्य हित में है। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत रख सकते हैं।

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच देश विशिष्ट होती है और उसे मौजूदा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निष्पादित किया जाता है। इसके अलावा प्राधिकारी ने जांच अवधि पर 1.4.2012 से 30.6.2013 के रूप में विचार किया है जैसा कि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है और विश्लेषण इसी अवधि के लिए किया गया है।

घ. पाटन तथा पाटन मार्जिन की कार्यप्रणाली तथा निर्धारण**घ.1 सामान्य मूल्य****घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

39. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

घरेलू उद्योग के विचार

40. सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदकों ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:-

- क. सामान्य मूल्य के बारे में जांच की कार्यवाही के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-
- ख. संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में पीवीसी पेस्ट/इमल्शन रेजिन की बिक्री की वास्तविक सौदा कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, याचिकाकर्ता संबद्ध देशों के घरेलू बाजार के लिए अथवा अन्य देशों को हुए निर्यातों के लिए सौदा कीमतों का पर्याप्त एवं यथोचित साक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।
- ग. देश के विभिन्न भागों में पीवीसी पेस्ट की कीमतें हरीमन कैमसल्ट (अब आईएचएस) द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।
- घ. जहां तक नार्वे और मैक्सिको का संबंध है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि हरीमन कैमसल्ट नॉर्वे तथा मैक्सिको में कीमतों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना प्रकाशित नहीं करती है। अतः याचिकाकर्ता ने नॉर्वे के लिए स्वीडन में कीमतों के आधार पर और मैक्सिको के लिए हरीमन कैमसल्ट द्वारा यथासूचित अमरीका में कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। पारंपरिक अनुमान के रूप में याचिकाकर्ता ने ऐसे व्यय को हिसाब में लेने के लिए लगभग 50 अम.डा. पीएमटी की कटौती की है जिसे निर्यातकों द्वारा याचिकाकर्ता के अनुभव के आधार पर घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री पर व्यय किया गया होगा।
- ड. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंड एस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित जांच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए किया गया है। निम्नलिखित व्यय अर्थात् समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में अंतरदेशीय दुलाई, बैंक प्रभार एवं प्लतन प्रभार, जिन्हें निर्यातक ने भारत को सामग्री का निर्यात करने के लिए व्यय किया होगा, के लिए निर्यात कीमत में समायोजन किया गया है। याचिकाकर्ता ने सर्वाधिक पारंपरिक अनुमानों के आधार पर बाजार सूचना एवं आम अनुभव के अनुसार विभिन्न समायोजनों का दावा किया है।
- च. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है अपितु, वह दोनों संबद्ध देशों के लिए पर्याप्त तथा काफी ज्यादा भी है।

41. मै0 मैक्सीकैम रेजिनास विनिलीकास, एस.ए. डि सी.वी. (उत्पादक/निर्यातक) मैक्सिको के विचार

- क. "पाटन मार्जिन" की गणना करते समय संबद्ध वस्तु के उत्पादन के समय उत्पादित ऑफ ग्रेड रेजिन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं।

42. मै0 इनिओस क्लोरविनायल्स (उत्पादक/निर्यातक) (नॉर्वे) के विचार

- क. नॉर्वे और भारत में बाजार और प्रयोग समान आधार पर समान रूप से तुलनीय नहीं हैं।
- ख. इनिओस ने सामग्री की आपूर्ति की है और वह आपूर्ति जारी रखेगी बशर्ते मार्जिन और लाभ की गुंजाइश हो। इस समय इनिओस का भारत में पी 1412 का केवल एक ग्राहक है क्योंकि अन्य सभी ग्राहक हमारी उद्धृत कीमत से काफी कम कीमत पर स्थानीय उत्पादकों या आयातकों से पी 117 पी 15 के समतुल्य ग्रेडों की खरीद कर सकते हैं क्योंकि पी 1412 की हमारी कीमत प्रतिस्पर्धियों से पी-11 एवं पी-15 समतुल्यों की कीमत से अधिक है।

43. इंटरनेशनल कन्वेयर्स (आयातक) के विचार

- क. आवेदक ने दो चीजों के आधार पर नॉर्वे तथा मैक्सिको के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है :

- स्वीडन और अमरीका में कीमतें (हरीमन कैमसल्ट द्वारा यथासूचित)।
- घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री करते समय निर्यातक द्वारा किया गया संभावित व्यय-उक्त व्यय के रूप में 50 अम.डॉ./मी.ट. की कटौती।

तथापि, कानून में इस निर्धारण की अनुमति नहीं है। इसकी वजह यह है कि :

- किसी उचित तीसरे देश के लिए निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण तभी किया जाना चाहिए जब नॉर्वे तथा मैक्सिको में संबद्ध वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा बिक्री की मात्रा काफी कम रही हो।
- निर्धारण गैट के अनुच्छेद- VI के कार्यान्वयन के अनुच्छेद 2.2 के उपबंध के अनुसार किया जाना चाहिए।
- नॉर्वे और मैक्सिको बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु तीसरे देश का प्रयोग, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए ही अनुमत्य है।
- इसके अलावा, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों के बारे में उचित देशों के रूप में स्वीडन तथा अमरीका का चयन करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है।
- 50 अम.डॉ. की कटौती भी मनमानी है और इस कटौती के लिए आवेदक ने कोई कारण नहीं दिया है अथवा यह नहीं बताया है कि इस राशि को कैसे पूर्णांकित किया गया है जबकि व्यय निर्यातक द्वारा किए जाते हैं।
- सामान्य मूल्य को आवेदक के लाभार्थ वृद्धि करने हेतु मनगणत सूचना पर आधारित किया गया है। सामान्य मूल्य की गणनाओं को भी गोपनीय रखा गया है जिसकी वजह से प्रतिवादी पक्षकार अपने तर्क नहीं दे सके।
- इसके अलावा, भारत में घरेलू उद्योग द्वारा व्यय की गई उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की परिकल्पना नॉर्वे और मैक्सिको जैसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए नहीं की गई है और इसलिए यह कानून के संगत उपबंधों के असंगत है।
- पाटन मार्जिन की पुष्टि करने के लिए अपेक्षित विधिवत सूचना के अभाव में आवेदन को तुरंत समाप्त किए जाने की जरूरत है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रदान करने की सलाह देते हुए उनके पास प्रश्नावलियां भेजी थीं। तथापि, केवल मै0 मैक्सीकैम ने उत्तर दायर किया है और इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का आकलन निम्नानुसार किया है :

45. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

नार्वे

46. नार्वे में किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने इस जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। मै0 इनियोस क्लोर विनायल्स ने केवल अनुरोध किए हैं और प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है। नार्वे में निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और तथ्यों पर विचार किया है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस दावे को नोट करते हैं कि नार्वे के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की प्रचलित कीमतों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए गए थे परंतु उनके घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की वास्तविक सौदा बिक्री कीमत के बारे में वे कोई उचित, प्रामाणिक एवं सही सूचना प्राप्त नहीं कर सके। वर्तमान मामले में नार्वे के निर्यातकों/उत्पादकों के असहयोग पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना की। परिकलन पद्धति का सहारा लिया है। अतः प्राधिकारी ने नार्वे के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन घरेलू उद्योग की प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, खपत संबंधी कारक और घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए किया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनता है।

मैक्सिको

47. मैक्सिको के उत्पादक/निर्यातक मै0 मैक्सीकैम रेजिनास विनिलिकॉस, एस ए डि सीवी ने प्राधिकारी को उत्तर दिया है। कंपनी ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण भी प्रदान किए हैं। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुसार घरेलू बाजार में बिक्री हेतु प्रदत्त सूचना के अनुसार मै0 मैक्सीकैम रेजिनास विनिलिकॉस, एस ए डि सीवी हेतु सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। कंपनी ने भाड़े, बीमा और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है जिसे प्राधिकारी ने स्वीकार किया है और सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. निर्धारित किया है।

घ.2 निर्यात कीमत

नार्वे

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नार्वे के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने इस जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। नार्वे में निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचनाओं तथा तथ्यों पर विचार किया है और प्राधिकारी ने संगत अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है। घरेलू उद्योग की सूचना/इच्छा के अनुसार डी जी सी आई एंड एस द्वारा सूचित सी आई एफ कीमत में से यथोचित समायोजन किए गए हैं। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत आयात कीमत निर्धारित की है। निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. के रूप में निर्धारित की गई है।

मैक्सिको

49. मै0 मैक्सीकैम रेजिनास विनिलिकॉस, एस ए डि सीवी मैक्सिको के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण मै0 मैक्सीकैम रेजिनास विनिलिकॉस, एस ए डि सीवी मैक्सिको द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार किया गया है। विदेशी भाड़े, बीमा और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया गया है जिसकी प्राधिकारी ने अनुमति प्रदान की है। और निर्यातक द्वारा सूचित न की गई निर्यात कीमत के बारे में कुछ समायोजन याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किए जा रहे हैं। इनमें पतन व्यय और अंतरदेशीय भाड़ा शामिल हैं जिनमें से दोनों भारित औसत एफओबी निर्यात कीमत के एक प्रतिशत की दर से हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत **** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनती है। असहयोगी उत्पादक और निर्यातकों के मामले में निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और प्राधिकारी ने ऐसी परिस्थितियों में उस पर विचार किया है। निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. के रूप में निर्धारित की गई है।

घ.3 पाटन मार्जिन

50. ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है।

विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन
	अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	%	% रेंज
नॉर्वे					
समस्त उत्पादक एवं निर्यातक	***	***	***	***	25-35
मैक्सिको					
मै0 मैक्सिकैम	***	***	***	***	20-30
मैक्सिकैम से अन्य	***	***	***	***	35-45

ड. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

ड.1 आयातकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं तथा प्रयोक्ता एसोसिएशनों के अनुरोध

51. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

52. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि :

- (क) संबद्ध वस्तु के पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कई बार क्षति हुई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती अवसरों पर यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया था। घरेलू उद्योग को निष्पादन में उसके बाद सुधार आने की आशा थी जिसमें वस्तुतः चीन जन.गण., मलेशिया, कोरिया गण., ताइवान, रूस और थाइलैंड सहित अन्य देशों से हुए पाटन के कारण गिरावट आई थी।
- (ख) देश में उत्पाद की मांग में सकारात्मक रुख प्रदर्शित हुआ है।
- (ग) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप में वृद्धि हुई है और प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- (घ) समग्र रूप में और मांग, घरेलू उत्पादन तथा कुल आयातों की तुलना में आयातों में वृद्धि काफी अधिक रही है।
- (ङ.) संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम रही थी जिसके परिणामस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती हुई थी।
- (च) यद्यपि, नार्वे से आयातों की औसत पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से लगातार कम रही है। तथापि, लघु वापसी के बाद कीमत कटौती में वृद्धि हुई है। जांच अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच अंतर में वृद्धि हो रही है।
- (छ) पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की कीमतों के बीच भारी अंतर होने से घरेलू उद्योग कीमत में की जाने वाली उस विधि सम्मत वृद्धि करने से वंचित हुआ जिसमें बिक्री लागत में वृद्धि होने और पूर्ववर्ती पाटन समाप्त होने के मद्देनजर अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।
- (ज) यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि नहीं की है। तथापि बैटरी सेपरेटर यूनिट से लेकर पीवीसी पेस्ट तक क्षमताओं का पुनरावंटन हुआ है जिसकी वजह से विचाराधीन उत्पाद के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षमता में वृद्धि हो रही है।
- (झ) वर्ष 2010-11 में मामूली गिरावट के साथ समूची क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है।
- (ट) इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। चूंकि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें आयात कीमतों के बराबर रखी हैं, इसलिए इस अवधि में बिक्री मात्रा और परिणामी उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।
- (ठ) घरेलू उद्योग के पास मालसूचियों में जांच अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि होने के साथ ही 2011-12 में कुछ गिरावट देखी गई है।
- (ड) अधिकांश मापदंडों के संबंध में वृद्धि नकारात्मक है।
- (ढ) पाटित आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिसकी वजह से भारतीय बाजार में कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है। यद्यपि उत्पादन लागत बढ़ी है, तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है।
- (ण) याचिकाकर्ता को एक के बाद दूसरे देशों से पाटन के परिणामस्वरूप भारी वित्तीय घाटा हो रहा है। यदि उत्पाद के लिए बाजार निष्पक्ष रहा होता तो याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता में आगे और वृद्धि की होती।
- (त) लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, मालसूची और बाजार हिस्से के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।

- (थ) वर्ष 2009-10 तक नार्वे से संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ था और मैक्सिको से अल्प मात्रा में निर्यात हुआ था। यूरोप पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद यूरोपीय उत्पादक ने अपनी आपूर्तियां नार्वे संयंत्र से शुरू की हैं और इसीलिए इस अकेले निर्यातक के पास घरेलू उद्योग को भारी क्षति पहुंचाने की पर्याप्त क्षमता है।
- (द) उत्पादक की अपनी खुद की वेबसाइट के अनुसार उसके पास "इमल्सन पीवीसी" के उत्पादन हेतु 110 किलो टन की क्षमता है जिसे नार्वे और स्वीडन स्थित दो संयंत्रों के बीच बांटा जाता है।
- (ध) अपेक्षाकृत कम अवधि में आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।
- (न) कीमत कटौती काफी अधिक है। आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिससे आगे और आयात होने की प्रबल संभावना है। कीमत में अत्यधिक कटौती कीमत में भारी अंतर को कम करने के प्रयास के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा कीमत में की गई कमी के बावजूद हुई है।
- (प) भारत में बढ़ती हुई मांग के कारण विदेशी उत्पादक के पास बेशी क्षमता और पाटनरोधी शुल्क के अधीन ईयू देशों के बजाए नार्वे से उत्पादों को भेजे जाने से उत्पादक भारतीय बाजार में आक्रामक बने रहेंगे।
- (फ) इस प्रकार पहले से हुई वास्तविक क्षति के अलावा, घरेलू उद्योग के समक्ष पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का खतरा है।
- (ब) अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर या तो शुल्क पहले से लागू है या फिर उनकी मात्रा न्यूनतम सीमा से कम है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य देशों से हुए आयातों के कारण भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (भ) संबद्ध वस्तु की मांग में कोई कमी नहीं आई है। मांग में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- (म) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत की पद्धति में परिवर्तनों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।
- (य) ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
- (र) उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी विकास क्षति का कारक नहीं है।
- (ल) दावा की गई क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण हुई है। अतः याचिकाकर्ता ने अल्प मात्रा में निर्यात किया है; घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण निर्यातों को नहीं माना जा सकता।
- (व) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। परिणामतः आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।
- (श) घरेलू उद्योग द्वारा महसूस किए जा रहे कीमत दबाव विशुद्ध रूप से देश में उत्पाद के पाटन के कारण हैं।
- (ष) पाटित आयातों द्वारा की जा रही कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बढ़ाने से वंचित हुआ है।
- (स) कीमत न्यूनीकरण के कारण लाभ में उतनी सीमा तक गिरावट आई है जितनी सीमा तक घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है।
- (ह) लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट प्रत्यक्ष रूप से पाटित आयातों के कारण आई है।
- (क्ष) कई आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक बन गई है।

ड.3 मै0 मैक्सीकैम रेजिनास विनिलीकास, एस.ए. डि सी.वी. (उत्पादक/निर्यातक) मैक्सिको के विचार

- (क) घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है। अतः घरेलू उद्योग घरेलू बाजार की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। भारतीय मांग भारतीय उत्पादकों की कुल क्षमता से अधिक है।
- (ख) घरेलू उद्योग के निम्नलिखित सकारात्मक घटनाक्रमों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति से इंकार किया जाता है:
- घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है।
 - प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हुई है।
 - घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
 - मजदूरी और रोजगार में वृद्धि हुई है।
 - घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है और उसके बाद भी घरेलू उद्योग घाटा होने का दावा करता है। निवेश से जुड़े व्यय/लागत के क्षतिकारी प्रभावों को आरोपित पाटित आयातों द्वारा पहुंची क्षति से अलग रखा जाना चाहिए।
 - घरेलू उद्योग के तुलन पत्र से घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए घाटे का पता नहीं चलता है।

- (ग) घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति और आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग के पास समूची मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है, इसलिए कमी की पूर्ति आयातों के जरिए की जाती है। अनावश्यक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना उपभोक्ता के लिए अहितकारी होगा।
- (घ) भारत में रेजिन विनिर्माताओं ने एक कर्टिल बनाया है और निविष्टि लागत में किसी खास परिवर्तन के बिना माह दर माह आधार पर उनकी कीमतें अलग-अलग हैं और वे गलत ढंग से पाटन का आरोप लगा रहे हैं।
- (ङ.) जिन देशों पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है, उन देशों से हुए आयातों की तुलना में संबद्ध देशों से हुए आयात नगण्य हैं। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की हानि, यदि कोई हो, ऐसे देशों से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण हुई है जिन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगाया हुआ है न कि मैक्सिको से हुए आयातों के कारण।
- (च) घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव, संबद्ध देशों से हुए आयातों के प्रतिकूल नकदी की खराब स्थिति आदि को माना जाना चाहिए।

ड.4 मै0 इनिओस क्लोरविलायल्स (उत्पादक/निर्यातक) नॉर्वे के विचार

- (क) भारत को आपूर्त पेस्ट पीवीसी के अंतिम प्रयोग तथा नार्वेजियन बाजार के भीतर उपोग की तुलना समान दर समान आधार पर नहीं की जा सकती।
- (ख) सीधे तौर पर अथवा वितरक के जरिए आपूर्त वस्तु की कीमतें ऐसी हैं जिनसे सामान्य मूल्य पद्धति (उत्पादन लागत, भारतीय पत्तन के लिए संभार तंत्र, प्रशासन, बिक्री लागत एवं लाभ) के आधार पर इनिओस को सकारात्मक मार्जिन उपलब्ध होता है।
- (ग) भारतीय ग्राहकों को सीधे आपूर्ति की गई वस्तु की कीमतें सीआईएफ आधार पर उचित ढंग से तय की जाती हैं और ग्राहक की फैक्ट्री तक आंतरिक दुलाई लागत का भुगतान ग्राहक द्वारा किया जाता है। यह कीमत अन्य बाजारों से हमारे प्रतिस्पर्धियों की बाजार आसूचना/जानकारी पर आधारित होती है।
- (घ) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हो रही है और वह संघर्ष कर रहा है।
- (ङ.) इनिओस के आयातों और आरोपित किसी क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- (च) नार्वेजियन उत्पाद पर पाटनरोधी उपाय लागू करना भारत के हित में नहीं है और इससे भारतीय ग्राहकों की प्रतिस्पर्धात्मक पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
- (छ) इनिओस से पैवीकॉन उत्पाद की कीमत की यदि तुलना की जाए तो वह समान और अक्सर याचिकाकर्ता द्वारा प्रभारित एवं अन्य बाजारों से कई अन्य आयातकों द्वारा प्रभारित कीमतों से अधिक है।
- (ज) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हो रही है और कोई आरोपित क्षति इनिओस से हुए आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- (झ) इनिओस से हुए आयात अप्रैल, 2012 से जून, 2013 तक की अवधि में वार्षिक आधार पर कुल बाजार के 5 प्रतिशत पर अथवा उससे कम रहे हैं। अन्य सभी अवधियों में कुल बाजार में इनिओस का हिस्सा वार्षिक आधार पर 1 तथा 2.5 प्रतिशत के बीच रहा है। चार अवधियों में से दो में हुए कुल आयातों का आकलन करते हुए इनिओस के आयात 3 प्रतिशत से कम रहे हैं और इस समय यह 3 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से कम है। अतः इस बात का कोई तर्क देना मुश्किल है कि इनिओस से हुए आयातों के कारण भारतीय पेस्ट बाजार पर कीमत दबाव पड़ा है।
- (ट) जिन कई कारकों से भारतीय पेस्ट उत्पादकों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। उनमें कच्ची सामग्री की बढ़ती हुई लागत, बढ़ती हुई उपयोगिता लागत, संवर्धित ऊपरी व्यय/वेतन, समीक्षाधीन अलग-अलग अवधियों में कीमत निर्धारण नीतियां और अंततः स्थानीय एवं वैश्विक रूप में मांग-आपूर्ति संतुलन शामिल हैं।
- (ठ) जब तक भारत पेस्ट पीवीसी में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है (और ऐसा बनने में उसे कई वर्ष लगेंगे) तब तक खुले एवं निष्पक्ष आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के अवसर बने रहेंगे।
- (ड) नार्वे से इनिओस द्वारा आपूर्ति 3 प्रतिशत के आयात स्तर (न्यूनतम मार्जिन) से कम रहती है, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कोई कारणात्मक संबंध नहीं है और उत्पाद अंतिम प्रयोगों की तुलना समान दर समान आधार पर नहीं की जा सकती।

ड.5 इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड (आयातक) के विचार

- क. मैक्सिको और नॉर्वे से हुए आयातों की मात्रा में समग्र रूप में अथवा तुलनात्मक रूप में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे आवेदक के दावानुसार घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

- ख. क्षति अवधि की शुरुआत से लेकर जांच अवधि के अंत तक निवल बिक्री कीमतों बिक्री लागत में हुई वृद्धि की तुलना में लगातार अधिक रही हैं। आवेदक घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के कीमत न्यूनकारी प्रभाव के मामले की पुष्टि करने में विफल रहा है।
- ग. आयातों की पहुंच कीमत के संबंध में भारत में समान उत्पाद के बारे में पाटित आयातों के कारण "अत्यधिक कीमत कटौती" की पुष्टि करने में भी आवेदक विफल रहा है।
- घ. आवेदक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से क्षति के मामले की पुष्टि नहीं होती है।
- ङ. आयातों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनसे घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर कोई प्रभाव पड़ा है क्योंकि दोनों में जांच अवधि के दौरान परिणामी वृद्धि प्रदर्शित हुई है।
- च. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति से आवेदक के इन दावों के प्रतिकूल कि इनसे घरेलू उद्योग की स्थिति का पता नहीं चलता है, घरेलू उद्योग की सकारात्मक स्थिति का निश्चित तौर पर संकेत मिलता है।
- छ. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के साथ ही घरेलू उद्योग की बिक्री में भी वृद्धि हुई है।
- ज. आवेदक ने केवल नार्वे के लिए संगत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं न कि मैक्सिको के लिए। इससे प्रतिवादी तर्कसंगत ढंग से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मैक्सिको से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा उत्पन्न नहीं होता है।
- झ. आवेदक नार्वे में "बेशी क्षमता" के दावों की पुष्टि करने में विफल रहा है जिसकी वजह से आवेदक के दावानुसार, नार्वे घरेलू बाजार में आक्रामक बना रहेगा। अतः इसका तात्पर्य मात्र आरोप है जिसकी पुष्टि किसी साक्ष्य के साथ नहीं की गई है।
- ञ. आवेदक द्वारा वास्तविक क्षति का दावा भी मजबूत आधारों पर नहीं है क्योंकि आवेदक ने कीमत ह्रास के अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।
- ट. क्षति और संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। घरेलू उद्योग को हुई आरोपित क्षति का कारण निम्नलिखित में से किसी एक को माना जा सकता है :
- i. घरेलू उद्योग के पास बाजार मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं अतः उसके अधिकांश बाजार हिस्से में कमी आई है।
- ii. घरेलू उद्योग को हुए घाटे का मुख्य कारण प्रमुख उत्पादों को पूरा करने में हुआ विलंब भी है।
- ठ. जांच अवधि के दौरान स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि हुई है।
- ड. तथापि, ऐसे अन्य देशों, जिन पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है, से हुए आयात न्यूनतम सीमा से कम रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क के अधीन अन्य देशों के 36 प्रतिशत के बाजार हिस्से की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से हुए आयातों का मांग में बाजार हिस्सा मात्र 7 प्रतिशत है (पृष्ठ 15, पैरा 64-65, डब्ल्यू एस दिनांक 2 अप्रैल, 2014)
- ढ. आवेदक ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि "घरेलू उद्योग अपनी सीमित क्षमता से घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हो सकता है"। (पृष्ठ 14, पैरा 58, डब्ल्यू एस दिनांक 2 अप्रैल, 2014)। अतः घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आयात करना आवश्यक है।
- ण. घरेलू प्रयोक्ता डिलीवरी में बार-बार होने वाले विलंब, ऑर्डर हेतु भाव दरें प्रदान न किए जाने, कीमतों में बार-बार संशोधन किए जाने और माह के प्रथमार्ध में संबद्ध वस्तु की उपलब्धता न होने के कारण घरेलू उत्पादकों से संबद्ध वस्तु को लेने में हिचक महसूस करते हैं। अतः इन तथ्यों के कारण हुए घाटे को संबद्ध देशों से हुए निर्यातों की वजह से नहीं माना जा सकता है।

ड.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

53. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुसार एवं हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए क्षति और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की है।

54. नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मात्रा और कीमत दोनों के परीक्षण द्वारा क्षति की जांच करे। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होती है। जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि

क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों से कीमत में पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।

55. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

56. प्राधिकारी ने अनुरोधों में दिए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की निम्नलिखित संबंधित पैराग्राफों में तथ्यपरक जांच की है।

मांग का निर्धारण

57. संबद्ध वस्तु की मांग का निर्धारण समान घरेलू उत्पाद की घरेलू बिक्री को सभी देशों से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों के साथ जोड़कर किया गया है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में भारी वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल, '12- जून '13 (पीओआई)	वार्षिकीकृत पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	26,240	35,125	44,382	56,062	44,849
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	8,145	9,431	11,490	14,882	11,906
नार्वे	मी.ट.	-	1,140	1,016	5,852	4,682
मैक्सिको	मी.ट.	432	-	-	3,572	2,858
योग संबद्ध देश	मी.ट.	432	1,140	1,016	9,424	7,540
देश जिन पर शुल्क लागू है	मी.ट.	23,492	24,101	27,052	44,479	35,583
अन्य देश	मी.ट.	2,017	2,798	1,862	1,375	1,100
कुल मांग	मी.ट.	60,326	72,595	85,802	126,222	100,978

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा

58. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल, '12- जून '13 (पीओआई)	वार्षिकीकृत पीओआई
कुल आयात	मी.ट.	25,941	28,039	29,930	55,279	44,223
नार्वे	मी.ट.	-	1,140	1,016	5,852	4,682
मैक्सिको	मी.ट.	432	-	-	3,572	2,858
कुल संबद्ध देश	मी.ट.	432	1,140	1,016	9,424	7,540
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	मी.ट.	23,492	24,101	27,052	44,479	35,583
अन्य देश	मी.ट.	2,017	2,798	1,862	1,375	1,100
आयातों का बाजार हिस्सा						
नार्वे	%	-	4.07	3.40	10.59	10.59
मैक्सिको	%	1.67	-	-	6.46	6.46
कुल संबद्ध देश	%	1.67	4.07	3.40	17.05	17.05
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	90.56	85.95	90.38	80.46	80.46
अन्य देश	%	7.77	9.98	6.22	2.49	2.49
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात						
कुल आयात	%	1.67	4.07	3.40	17.05	17.05
डीआई उत्पादन	%	1.64	3.25	2.29	16.76	16.76
भारतीय मांग	%	0.72	1.57	1.18	7.47	7.47

59. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :

- क. संबद्ध देशों से हुए आयातों में समग्र रूप में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जांच अवधि के दौरान आयातों में हुई वृद्धि काफी अधिक है।
- ख. कुल आयातों की तुलना में संबद्ध देशों से हुए आयातों में भारी वृद्धि हुई है।
- ग. उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से हुए आयात वर्ष 2009-10 के दौरान 1.64 प्रतिशत से बढ़कर जांच अवधि में 16.76 प्रतिशत हो गए हैं।
- घ. कुल मांग की तुलना में संबद्ध देशों से हुए आयात वर्ष 2009-10 में 0.72 प्रतिशत से बढ़कर जांच अवधि में 7.47 प्रतिशत हो गए हैं।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

60. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

"जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।"

61. इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के कारण भारत में समान उत्पाद की कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा काफी हद तक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

कीमत कटौती

62. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की है। आगे यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है और कीमत कटौती का मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल'12-जून'13 जांच अवधि
क	नार्वे					
	पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	-	***	***	***
	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	-	***	***	***
	कीमत कटौती	रु./मी.ट.	-	***	***	***
	कीमत कटौती	%	-	***	***	***
	कीमत कटौती %	रेंज	-	15-25	0-10	5-15
ख	मैक्सिको					
	पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***	-	-	***
	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	-	-	***
	कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	-	-	***
	कीमत कटौती	%	***	-	-	***
	कीमत कटौती %	रेंज	25-35	-	-	0-10
ग	संबद्ध देश					
	पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
	कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***	***
	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
	कीमत कटौती %	रेंज	25-35	15-25	0-10	5-15

कम कीमत पर बिक्री

63. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री का सामना संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण करना पड़ा है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तालिका के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की है। आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना से निम्नानुसार पता चलता है :-

विवरण	इकाई	नार्वे	मैक्सिको
क्षति रहित कीमत	अम.डा./मी.ट.	***	***
पहुंच कीमत	अम.डा./मी.ट.	***	***
कम कीमत पर बिक्री	अम.डा./मी.ट.	***	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री (रेंज %)	रेंज	30-40	20-30

64. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना में काफी कम रही है।

कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

65. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण हो रहा है, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागत, कीमत और पहुंच मूल्य की तुलना की है। स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार है :-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	112	122
निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	141	132
संबद्ध देशों की पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	191	171

66. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लागत में 22 सूचीबद्ध अंक तक वृद्धि हुई है। तथापि, जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 9 सूचकांक बिन्दू की गिरावट आई है। पहुंच मूल्य समग्र रूप में समूची क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम रहा है जिसके परिणामस्वरूप कीमत का पर्याप्त न्यूनीकरण हुआ है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

68. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग के बारे में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार रहा था :-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल'12- जून'13 जांच अवधि	वार्षिकीकृत जांच अवधि
क्षमता	मी.ट.	34,080	38,420	45,360	56,700	45,360
उत्पादन	मी.ट.	26,380	35,107	44,369	56,248	44,998
क्षमता उपयोग	%	77.41	91.38	97.82	99.20	99.20
घरेलू बिक्री	मी.ट.	26,240	35,125	44,382	56,062	44,849

69. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वर्ष 2010-11 में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है।

70. समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया है कि क्षमता में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग ने और अधिक उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पादन की मांग घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले उत्पाद की तुलना में अधिक है। अतः घरेलू उद्योग के समक्ष जहां तक आयातों की तुलना में उसकी कीमतों की प्रतिस्पर्धा का संबंध है, वस्तु की बिक्री करने में कोई कठिनाई नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें आयात कीमतों के समान रखी हैं, इसलिए इस अवधि के दौरान बिक्री मात्रा और परिणामी उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।

लाभ, लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

71. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि	वार्षिकीकृत जांच अवधि
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	112	122	122
बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	141	132	132
लाभ/(हानि)	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	1	8	-77	-77
नकद लाभ	रू./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	4	18	-162	-130
आर ओ सी ई	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	87	115	-16	-16

72. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2010-11 में और पुनः 2011-12 में वृद्धि हुई है परंतु उसके बाद जांच अवधि के दौरान इनमें नकारात्मक स्तर तक गिरावट आई है। इसके अलावा, लाभप्रदता में भारी गिरावट आने के परिणामस्वरूप जांच अवधि में नकद लाभ और निवेश पर आय में भी नकारात्मक स्तर तक गिरावट आई। जहां तक आधार वर्ष में हुए घाटे का संबंध है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि उक्त घाटा उस अवधि में हुए पाटित आयातों के अत्यधिक प्रभाव के कारण हुआ है, लेकिन जून, 2010 में शुल्क (अनंतिम शुल्क) लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में 2010-11 में और 2011-12 में सुधार हुआ है।

बाजार हिस्सा

73. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्से पर आयातों के प्रभावों की जांच निम्नानुसार की गई है :-

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	43.50	48.38	51.73	44.42
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	13.50	12.99	13.39	11.79
नार्वे	%	-	1.57	1.18	4.64
मैक्सिको	%	0.72	-	-	2.83
संबद्ध देश आयात	%	0.72	1.57	1.18	7.47
अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	%	38.94	33.20	31.53	35.24
अन्य देश	%	3.34	3.85	2.17	1.09

74. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई है परंतु जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है और यह कि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 7 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि आयातों के बाजार हिस्से में लगभग उतनी ही सीमा तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों (एसएसआर देशों) के एक सैट पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण पाटन नए स्रोतों (वर्तमान संबद्ध देशों) से शुरू हो गया है।

रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

75. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि	वार्षिकीकृत जांच अवधि
रोजगार	सं०	***	***	***	***	***
पति दिवस उत्पादकता	पति दिवस	***	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***	***
मजदूरी	लाख रु०	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	190	269	215

76. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास रोजगार में वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई और जांच अवधि के दौरान गिरावट आई। क्षति अवधि के दौरान प्रदत्त मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

मालसूची:

77. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
औसत स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	101	199

78. यह देखा जाता है कि अधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

वृद्धि

पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
उत्पादन	%	-	33.08	26.38	1.42
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	33.86	26.36	1.05
घरेलू बिक्री कीमत	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री लागत	%	-	***	***	***
औसत स्टॉक	%	-	***	***	***
लगाई गई पूंजी पर आय	%	-	***	***	***

79. पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग ने मात्रा के रूप में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है और वित्तीय रूप में अत्यधिक नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। जहां तक कीमत मापदंडों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2011-12 और जांच अवधि में लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ में वृद्धि नकारात्मक रही है।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार हेतु निवेश किए हैं। तथापि, इन निवेशों के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है और आगे किए जाने वाले निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

81. यह नोट किया जाता है कि देश में संबद्ध देशों से होने वाले आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं और यह कि पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

ट. प्रकटन विवरण पश्चात हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

विचाराधीन उत्पाद

82. घरेलू उद्योग के विचार

घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के बारे में अपने विचारों को दोहराया है और यह अनुरोध किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया शुल्क तालिका में यह निर्दिष्ट करें कि विचाराधीन उत्पाद पर उन सीमा शुल्क वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना शुल्क लगाया जाना चाहिए जिनके अंतर्गत आयातकों द्वारा वस्तु की निकासी की जा रही है। इसके अलावा प्राधिकारी शुल्क तालिका में यह निर्दिष्ट करें कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

83. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

क. विचाराधीन उत्पाद को अस्पष्ट ढंग से परिभाषित किया गया है और इससे भ्रम पैदा होता है। घरेलू उद्योग इमल्सन प्रक्रिया द्वारा कोई पीवीसी रेजिन का विनिर्माण नहीं करता है और तब भी वह विचाराधीन उत्पाद को इमल्सन पीवीसी रेजिन कहता है। घरेलू उद्योग सस्पेंशन प्रक्रिया अथवा माइक्रो सस्पेंशन प्रक्रिया द्वारा पीवीसी रेजिन का विनिर्माण करता है।

ख. घरेलू उद्योग पीवीसी पेस्ट रेजिन की व्यापक श्रेणी में से केवल चुनिंदा ग्रेडों का विनिर्माण करता है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित कोई भी ग्रेड लो फोगिंग रेजिन के रूप में अर्ह नहीं है। अलग-अलग ग्रेड विशिष्ट उत्पादों और इनका उपयोग तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर नहीं होता है।

ग. घरेलू उद्योग (1) उच्च के मूल्य के पीवीसी पेस्ट रेजिन और (2) लो फोगिंग के पीवीसी पेस्ट रेजिन का विनिर्माण नहीं करता है और इन्हें शुल्क उदग्रहण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीवीसी रेजिन उसके कम के - मूल्य के कारण केवल फोम की पर्त के लिए उपयुक्त होता है और इसका प्रयोग ऊपरी पर्त के लिए नहीं किया जा सकता जिसके लिए उच्च टेंसिल क्षमता तथा उच्च यांत्रिक गुण धर्मों की जरूरत होती है जिन्हें उच्च के - मूल्य से प्राप्त किया जा सकता है।

ड. उच्च के - मूल्य के पीवीसी पेस्ट रेजिन का प्रयोग कम के - मूल्य के रेजिन के स्थान पर नहीं किया जा सकता।

च. घरेलू उद्योग सस्पेंशन रेजिन और पेस्ट रेजिन का विनिर्माण करता है। अतः घरेलू उद्योग की क्षमता दोनों उत्पादों की मिश्रित क्षमता है। जांचाधीन अवधि के दौरान क्षमता के एक बड़े भाग का उपयोग सस्पेंशन रेजिन के लिए किया गया है/इस दिशा में परिवर्तित किया गया है और पेस्ट रेजिन के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षमता सीमित है।

84. निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच

क. प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों को नोट करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन अलग-अलग के - मूल्यों के साथ किया जाता है और उसके कई प्रकार होते हैं लेकिन सभी में भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं एवं अंतिम उपयोग समान होते हैं, यद्यपि इन ग्रेडों का उत्पादन करने के लिए के मूल्य तथा अन्य मापदंडों के संबंध में विनिर्देशन विनिर्माताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं।

ख. प्राधिकारी ने अन्य देशों के संबंध में की गई पूर्ववर्ती जांचों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए ऐसे ही मुद्दों का निपटान किया था और उन पर उक्त जांच में विस्तार से विचार किया गया था। तथापि, चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने इन तर्कों को दोहराया है, इसलिए प्राधिकारी ने एक बार फिर इन तर्कों का नीचे निवारण किया है।

ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट तौर पर बाहर है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि "विचाराधीन उत्पाद" में पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन, बैटरी सैपरेटर रेजिन और पीवीसी पेस्ट रेजिन को - पोलिमर शामिल नहीं है।

घ. जहां तक विनिर्माण प्रौद्योगिकी में अंतर के बारे में तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मात्र इस तथ्य से उत्पाद अलग नहीं बन जाता है कि उत्पाद का उत्पादन 2 अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के जरिए किया जाता है। अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादित वस्तु वास्तव में समान उत्पाद होती है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का अदल बदल कर उपयोग किस प्रकार संबंधित देशों से आयातित वस्तु के साथ नहीं किया जाता है। आवेदक माइक्रो सस्पेंशन प्रक्रिया के जरिए पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन करता है। यह नोट किया जाता है कि प्रयुक्त प्रक्रिया में अंतर से उत्पाद तब तक अलग नहीं बन सकते जब तक कि परिणामी उत्पाद स्वयं अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों के संबंध में अलग-अलग नहीं होते हैं। यह संभव है कि प्रत्येक उत्पादक के पास उत्पाद के विनिर्माण हेतु अपनी खुद की प्रक्रिया हो सकती है, परंतु जब तक परिणामी उत्पाद के गुण धर्म समान रहते हैं तब तक उत्पादन प्रक्रिया में अंतर का महत्व नहीं होगा।

ङ. जहां तक उच्च और कम के मूल्य के पेस्ट रेजिन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पाद क्षेत्र में उच्च और कम, दोनों के मूल्य के पीवीसी पेस्ट रेजिन शामिल हैं।

च. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीवीसी पेस्ट रेजिन का उपयोग ऊपरी पर्त और फोम पर्त दोनों के लिए किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उसके द्वारा उत्पादित और आपूर्ति उसी ग्रेड का उपयोग उपभोक्ताओं ने ऊपरी और फोम, दोनों प्रकार की पर्त के लिए किया है। घरेलू उद्योग ने आगे स्पष्ट किया है कि वस्तुतः चर्म वस्त्र की तीन पर्तें, टापकोट, बेसकोट और फोमकोट होते हैं और इन सभी तीनों पर्तों को उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति पीवीसी पेस्ट रेजिन के उसी ग्रेड के प्रयोग से तैयार किया जाता है।

छ. यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग पीवीसी पेस्ट रेजिन की व्यापक श्रेणी में से केवल चुनिंदा ग्रेडों की आपूर्ति करता है। परन्तु इन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे की पुष्टि नहीं की है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पूर्ववर्ती जांचों के समय ऐसे ही तर्क दिए गए थे परन्तु प्राधिकारी ने जांच के दायरे से उक्त ग्रेडों को बाहर रखने में कोई पर्याप्त औचित्य नहीं पाया था। इस जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी को सत्यपान योग्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जहां तक लो फॉगिंग पेस्ट रेजिन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे ही तर्क इस उत्पाद की पूर्ववर्ती जांच के समय भी दिए गए थे। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया है कि वह लो फॉगिंग के पीवीसी पेस्ट रेजिन का विनिर्माण कर सकता है बशर्ते उसे वाणिज्यिक महत्व का कोई आर्डर प्रदान किया जाए। इस संबंध में उसने यह प्रदर्शित करते हुए संगत दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं कि कंपनी के पास उसके प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी प्रकार के पेस्ट रेजिन के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकीय क्षमता है और उसका प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता लो फॉगिंग रेजिन का उत्पादन और बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि एल सी पी एम ए के सदस्य विशिष्ट अंतिम उपयोग संबंधी अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए चर्म वस्त्र के विनिर्माण के समय फॉगिंगरोधी एजेंटों/अभिवर्धकों का प्रयोग कर रहे हैं।

अन्य मुद्दे

85. घरेलू उद्योग के विचार

क. फैक्टरी भांडागार से डिपो भांडागार तक व्यय की गई भाड़ा लागत को आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना करने से पूर्व क्षति रहित कीमत में जोड़ा जाए।

ख. चूंकि घरेलू उद्योग की नकद छूट को अलग रखा गया है इसलिए निर्यातक द्वारा व्यय की गई ऋण लागत को भी पाटनमार्जिन तथा क्षति मार्जिन, दोनों के निर्धारण हेतु अलग रखा जाना चाहिए।

ग. चूंकि क्षति रहित कीमत का निर्धारण कारखाना द्वार पर किया गया है, इसलिए क्षति मार्जिन के प्रयोजनार्थ निर्यात कीमत पर भी कारखाना द्वार पर विचार किया जाना चाहिए यदि घरेलू उद्योग की भाड़ा लागत को नहीं जोड़ा जाना है।

घ. लगाई गई पूंजी का निर्धारण स्थायी परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य अथवा स्थायी परिसंपत्तियों के न्यूनतम सकल मूल्य पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए।

ङ. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए कच्ची सामग्री की वास्तविक खपत और उपयोगिताओं पर विचार करना अपेक्षित है।

च. ऐसी किसी कीमत का निर्धारण करने, जिसकी तुलना क्षति मार्जिन की गणना हेतु आयात कीमत के साथ की जा सकती है, के लिए प्राधिकारी से उत्पादन की वास्तविक लागत के निर्धारण की अपेक्षा की जाती है न कि उत्पादन की सैद्धांतिक कम कीमत के निर्धारण की।

छ. पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा लागू करने और उसे अमरीकी डालर में लगाने का अनुरोध किया गया।

ज. शुल्क तालिका में यह निर्दिष्ट करने का अनुरोध किया गया कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

86. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

क. याचिका में जांच अवधि को 30 जून, 2013 तक 15 माह के रूप में चुना गया है जिससे वास्तविक तुलनाएं अपेक्षाकृत कम सार्थक रह गई हैं। इसके अलावा, 22 जनवरी, 2014 को शुरू किए गए मामले के लिए 30 जून, 2014 तक जांच अवधि रखने की कोई तुक नहीं है। अतः घरेलू उद्योग को यह निर्देश दिए जाने की जरूरत है कि वह संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करे और तुलनाएं सार्थक बनाने के लिए जांच अवधि को वित्त वर्ष 2013-14 के रूप में चुना जा सकता है। संशोधित आंकड़ों को परिचालित करने के बाद नई सार्वजनिक सुनवाई की जाए।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा सुझाया गया शुल्क का स्वरूप बिल्कुल भी सही नहीं है और यदि शुल्क लगाने की जरूरत पड़ती भी है तो उसे उस निर्धारित मूल्य के संदर्भ में होना चाहिए जिससे कम मूल्य पर वस्तु को पाटित किया गया माना जाता है।

ग. रुपए का 30 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन हो जाने के कारण भी घरेलू उद्योग को अतिरिक्त संरक्षण मिल रहा है क्योंकि आयात पहले से ही महंगे हो रहे हैं और पहुंच मूल्य में तदनुसार वृद्धि हो रही है। किसी निर्धारित शुल्क से आयात आगे और महंगे और अव्यवहार्य बन जाएंगे। इस कारण से भी निर्धारित शुल्क की तुलना में एक संदर्भ कीमत आधारित शुल्क को तरजीह दी जानी चाहिए।

87. निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच

क. प्राधिकारी ने शुल्क के स्वरूप, जिसे वर्तमान मामले में संस्तुत किया जाना चाहिए, से संबंधित विभिन्न अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच की है। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने अमरीकी डॉलर में शुल्क के निर्धारित स्रोत की सिफारिश करना उचित माना है।

ख. जहां तक जांच अवधि की उपयुक्तता का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि 15 माह की जांच अवधि सर्वथा उचित है और यही स्थिति वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच की शुरुआत और जांच अवधि के अंत के बीच समयांतराल के बारे में भी है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए रिकार्ड में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि जांच अवधि के विकल्प से विकृत परिणाम सामने आए हैं अथवा किसी अलग जांच अवधि पर विचार किए जाने से अलग वास्तविक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

ग. जहां तक भारतीय रुपए के अवमूल्यन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारण जांच अवधि के दौरान विद्यमान विनिमय दर सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर आधारित है। जांचोत्तर अवधि में विनिमय दर सहित किसी आर्थिक संकेतक/मापदंड में परिवर्तनों के लिए हितबद्ध पक्षकार उस स्थिति में पाटनरोधी नियमों में उपबंधित समीक्षा उपबंधों का सहारा ले सकते हैं यदि यह पाया जाता है कि जांच अवधि के बाद स्थिति में काफी बदलाव आया है और पाटनरोधी शुल्क का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

घ. जहां तक क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग के तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- III के अनुसार और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगत पद्धति के आधार पर किया गया है।

पाटन मार्जिन

88. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

क. प्राधिकारी ने कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालते समय पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़े के कारण अतिरिक्त समायोजनों की तर्कसम्मत ढंग से कटौती की है। यद्यपि निर्यातक का यह स्पष्ट अनुरोध है कि ऐसा कोई समायोजन मौजूद नहीं है। इसके

अलावा, प्राधिकारी ने मौके पर सत्यापन नहीं किया है और इसीलिए पत्तन व्यय तथा अंतर्देशीय भाड़े के कारण समायोजन रिकार्ड पर आधारित नहीं है।

ख. यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है तो उसकी अनुमति कानून के संगत उपबंधों में होनी चाहिए। सामान्य मूल्य के निर्धारण का तरीका कानूनन अनुमत्य है।

ग. वर्तमान जांच के संदर्भ में यह मामला ऐसा नहीं है कि नार्वे में संबद्ध वस्तु की कोई घरेलू बिक्री नहीं होती है और न ही यह मामला ऐसा है कि इन देशों में संबद्ध वस्तु की बिक्री अत्यंत कम मात्रा में होती है। इसके अलावा, नार्वे में किसी विशेष बाजारी स्थिति की मौजूदगी की पुष्टि करने का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके तहत सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग आवश्यक बनता हो। अतः नार्वे में खपत हेतु नियत किए जाने पर समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए था।

89. निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच

क. जहां तक नार्वे के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नार्वे के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि नार्वे में घरेलू बाजार में वास्तविक बिक्री कीमत का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई साक्ष्य नहीं है और घरेलू उद्योग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके पास यथोचित रूप से उपलब्ध सूचना प्रदान करे। सामान्य मूल्य के दावे का खंडन करते हुए किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य का कोई वैकल्पिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। प्राधिकारी के लिए रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कार्रवाई करना अपेक्षित है। अतः इन तथ्यों और परिस्थितियों में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण अपेक्षित है।

ख. जहां तक पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़े के कारण समायोजनों से जुड़े तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन घटकों पर कुछ व्यय अपरिहार्य है और इसलिए प्राधिकारी द्वारा उन पर सर्वोत्तम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है। इसके अलावा, निर्यातक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस बात की पुष्टि करने में समर्थ नहीं रहा है कि इन दोनों घटकों पर व्यय शून्य है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

90. घरेलू उद्योग के विचार

क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया है।

91. हितवद्ध पक्षकारों के विचार

क. प्रकटन विवरण में स्वतः यह दर्ज है कि उपर्युक्त कारकों में से कई कारकों में सुधार का संकेत मिलता है। क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। तदनुसार यह कहा जा सकता है कि संबद्ध वस्तु से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

ख. संबद्ध देशों के आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और क्षति, यदि कोई हो, संबंधित कारकों के आधार पर है।

ग. संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को हुई आरोपित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, अथवा किसी प्रतिकूल प्रभाव का कारण मैक्सिको से हुए न्यूनतम निर्यातों को नहीं माना जा सकता।

घ. यह निर्धारित करना प्राधिकारी के लिए त्रुटिपूर्ण होगा कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण हो रही है और इसमें अन्य देशों से हुए आयातों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

ड. घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, आयातों के कारण नहीं हुई है अपितु कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव, नकदी की खराब स्थिति आदि के कारण हुई है जैसा कि कैम्प्लास्ट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2012 में स्वीकार किया है।

च. घरेलू उद्योग भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने में असमर्थ है जिससे संबद्ध वस्तु के निर्यात आवश्यक बन गए हैं।

छ. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लेते हैं तो वह "कमतर शुल्क" नियम के अनुसरण में ऐसे शुल्क की गणना करेंगे।

ज. घरेलू उद्योग आदतन सुरक्षा का मांगकर्ता रहा है और वह वर्ष 1993 से पीवीसी उद्योग में विभिन्न उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क का लाभानुभोगी रहा है। यह स्पष्ट है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने में भरोसा रखता है।

झ. संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को आरोपित क्षति के बीच किसी कारणात्मक संबंध का कोई वास्तविक लेखा जोखा नहीं है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह पाटन, क्षति के साक्ष्य के अभाव में और जनहित में यह कार्यवाही तुरंत समाप्त कर दें।

ट. आठ देशों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू है। इस प्रकार घरेलू उद्योग समूचे आयातों को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर रहा है।

ठ. उन्होंने जाहिर तौर पर आयातों के कारण हुई क्षति की किसी मात्रा का दावा नहीं किया है। कीमत संबंधी क्षति के आंकड़ों की तुलना में मात्रात्मक क्षति के आंकड़ों में हेरा-फेरी की गुंजाइश कम रहती है, खासकर तब, जब घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी होने का दावा करता है।

ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग 99% क्षमता पर प्रचालन कर रहा है तथा भारत में आयात की जा रही वस्तु के प्रतिस्थापन हेतु अलग से कोई क्षमता नहीं है।

ढ. यदि घरेलू उद्योग कीमत संबंधी क्षति का दावा कर रहा है तो इसकी क्षति या तो कच्ची सामग्री की अकुशल खरीद के कारण या फिर इन हाउस कच्ची सामग्री के अकुशल विनिर्माण के कारण हो सकती है।

ण. आयातों के कारण मात्रात्मक क्षति के अभाव में और कीमत संबंधी क्षति के अभाव में पाटन से इतर कारकों से हुई क्षति के लिए किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जा सकती है।

त. घरेलू उद्योग ने प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता विस्तार में पर्याप्त निवेश नहीं किया है और वह बाजार मांग को पूरा करने में अक्षम रहा है।

थ. आवेदक के सभी प्रमुख क्षति संबंधी कारकों से न केवल जांच अवधि में अपितु क्षति अवधि के दौरान भी सुधार प्रदर्शित हुआ है।

द. वास्तविक क्षति के खतरे के दावे के लिए "आश्वस्तकारी कारण" अपेक्षित होता है और यह केवल "आरोप, अनुमान अथवा परोक्ष संभावना" नहीं हो सकता है।

ध. क्षमता की कमी और आवेदक की अकुशलताओं के परिणामस्वरूप आवेदक के बाजार हिस्से में गिरावट।

न. संबद्ध देशों से आयातों की मामूली मात्रा के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

प. आवेदक को कोई क्षति पहुंचाने वाली फिनोलेक्स की बिक्री की संभावना आवेदक पर प्रभाव डालने वाले अन्य देशों से हुए आयातों की संभावना से अधिक है।

फ. अलग-अलग क्षतिकारी प्रभाव के ऐसे पृथक्करण और भेद के अभाव में जांचकर्ता प्राधिकारियों के पास यह निष्कर्ष निकालने का कोई तार्किक आधार नहीं होगा कि पाटित आयातों के कारण वास्तव में क्षति हो रही है जिसकी वजह से पाटनरोधी करार के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क लगाना न्यायोचित है।

92. प्राधिकारी की जांच

क. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि देश में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर है और भारत में पीवीसी रेजिन कारोबार पर पूर्णतः एकाधिकार है, प्राधिकारी का यह सुविचारित मत है कि पाटनरोधी नियमों में यह निर्धारित नहीं है कि घरेलू उद्योग को देश में विचाराधीन उत्पाद की समूची मांग की पूर्ति करनी चाहिए या उसके एक खास प्रतिशत की। इसके अलावा, ऐसा कोई निषेध नहीं है कि पाटन के कारण क्षति उठा रहा एकमात्र उद्योग पाटनरोधी तंत्र के अंतर्गत निवारण की मांग नहीं कर सकता। यदि कोई उद्योग एकाधिकारवादी परम्परा अपना रहा है तो हितबद्ध पक्षकार समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उचित निवारण प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, जांच से यह पता चला है कि घरेलू उद्योग को देश में उत्पाद के पाटन के कारण क्षति हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है अपितु घरेलू उद्योग पर उसके क्षतिकारक प्रभाव को समाप्त करना है और वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों से आयात जारी रहे हैं।

ख. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों में यथा उपबंधित विभिन्न आर्थिक कारकों और संकेतकों की जांच की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अन्य अनुरोधों को नोट किया है और उन्होंने रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानून को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण संबंधित शीर्षकों के अंतर्गत किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में ऐसा उपबंध नहीं है कि घरेलू उद्योग को प्रत्येक क्षति मापदंड के संबंध में अवश्य ही क्षति होनी चाहिए थी।

ग. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार जहां तक मै. फिनोलैक्स सहित अन्य कारकों के कारण हुई क्षति का संबंध है, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। जांच से भी यह पता नहीं चला है कि

घरेलू उद्योग को इन कारकों की वजह से क्षति हुई है। इस बारे में कानूनी उपबंधों पर विचार करते हुए मैक्सिको से हुए आयात नगण्य नहीं हैं।

घ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कीमतों पर आयातों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है जिसकी वजह से बाजार में कीमत ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है। परिणामतः लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय जैसे विभिन्न आर्थिक/वित्तीय मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।

ड. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में मांगी गई पाटनरोधी शुल्क की सुरक्षा का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिशें तभी की जाती हैं जब जांच से विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की मौजूदगी का पता चला हो।

च. पहुंच मूल्य/क्षति रहित कीमत में भाड़ा एवं ऋण लागत समायोजनों को शामिल करने के बारे में घरेलू उद्योग के तर्क को नोट करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि उन्होंने पहुंच मूल्य का निर्धारण अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार किया है और पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-III के अनुसार उसकी तुलना क्षति रहित कीमत के साथ की है।

क्षति के बारे में निष्कर्ष

93. इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में भारी वृद्धि हुई है। आयातों में भारत में उत्पाद की खपत और उसके उत्पादन की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। अतः आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। पाटित आयातों का कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के रूप में अत्यधिक प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है। पाटित आयातों के प्रभाव से कीमत में होने वाली वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती। आयातों के कारण घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत को बढ़ाने से वंचित हुआ है। घरेलू उद्योग को अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है। जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण मालसूची, बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के पास मालसूची में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, अत्यधिक कीमत कटौती और कीमत ह्रास के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इतनी अधिक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकद घाटा हुआ है और निवेश पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

वास्तविक क्षति का खतरा

94. आवेदकों ने दावा किया है कि वास्तविक क्षति के अलावा, वर्तमान मामले में आगे और वास्तविक क्षति होने का खतरा है।

इस बारे में नियमावली के अनुबंध-II में निम्नानुसार उपबंध है :

वास्तविक क्षति के किसी खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि मात्र आरोप, अनुमान और परोक्ष संभावना पर। परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन की वजह से क्षति होगी, का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और उसे आसन्नवर्ती होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के बारे में निर्धारण करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे अर्थात्

- (क) भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर जिसमें अत्याधिक संवर्धित आयात की संभावना का पता चलता हो;
- (ख) निर्यातक की मुक्त रूप से निपटान योग्य पर्याप्त अथवा आसन्नवर्ती क्षमता, उसमें अत्यधिक वृद्धि जिससे किसी अतिरिक्त निर्यात को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से संवर्धित पाटित निर्यातों की संभावना का पता चलता हो;
- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे और अधिक आयात करने की मांग में वृद्धि की संभावना होगी; और
- (घ) वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही हो। "

95. वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों की जांच की गई है।

- क. वर्ष 2009-10 तक नार्वे से संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ था और मैक्सिको से अल्प मात्रा में निर्यात हुआ था। समूचे यूरोप में मौजूदगी रखने वाला एक उत्पादक यूरोप में बृहद क्षमता वाले पीवीसी संयंत्र को चलाता है। नार्वे में क्षमताएं 1950 के दशक में स्थापित की गई थीं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और नार्वे से आपूर्ति शुरू करने वाले उत्पादक के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। यूरोपीय उत्पादक ने नार्वे से आपूर्तियां शुरू की हैं और इसलिए इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि उक्त अकेले निर्यातक के पास घरेलू उद्योग को भारी क्षति पहुंचाने की पर्याप्त क्षमता है।

- ख. कि उत्पादक की अपनी खुद की वैबसाइट के अनुसार उसके पास "इमल्सन पीवीसी" के 110 किलो टन का उत्पादन करने की क्षमता है जिसे नार्वे और स्वीडन स्थित दो संयंत्रों के बीच विभाजित किया जाता है।
- ग. आयात मात्रा में अपेक्षाकृत कम अवधि में भारी वृद्धि हुई है।
- घ. कीमत कटौती काफी अधिक है। आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनसे आगे और आयात किए जाने की प्रबल संभावना है। कीमत में भारी कटौती कीमत में पर्याप्त अंतर को कम करने के प्रयास में घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में की गई कमी के बावजूद हो रही है।

वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में निष्कर्ष

96. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच से यह पता चलता है कि पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। उपर्युक्त अभिज्ञात कारकों से स्पष्ट तौर पर आगे और क्षति होने के खतरे की मौजूदगी का पता चलता है।

कारणात्मक संबंध

97. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। पाटन और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच निम्नानुसार की गई है:

तीसरे देशों से आयात

98. प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से संबद्ध वस्तु के आयात आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से हुए आयातों पर या तो पहले से ही शुल्क लागू है अथवा उनकी मात्रा न्यूनतम है और इनसे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति नहीं हो सकती है।

मांग में कमी

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में सुधार प्रदर्शित हुआ है। आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इसमें वृद्धि हुई है। मांग में संभावित कमी से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

प्रौद्योगिकी विकास

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी विश्व भर के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से तुलनीय है। भारतीय उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों की विनिर्माण प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है। वस्तुतः घरेलू उत्पादक पिछले कुछ समय से उत्पाद का विनिर्माण कर रहे हैं और उत्पादन प्रौद्योगिकी की उचित स्थापना की गई है।

खपत की पद्धति में परिवर्तन

102. घरेलू उद्योग वस्तु के उस प्रकार का उत्पादन कर रहा है जिसका आयात भारत में किया गया है। खपत की पद्धति में संभावित परिवर्तन ऐसे कारक नहीं हैं जिससे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति हो सकती है।

निर्यात निष्पादन

103. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित भारी गिरावट के कारण नहीं हुई है। बहरहाल घरेलू उद्योग ने जहां संभव हुआ है घरेलू निष्पादन पर विचार किया है।

अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विक्रीत अन्य उत्पादों के निष्पादन से प्राधिकारी द्वारा किए गए घरेलू उद्योग के निष्पादन के मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी द्वारा विचारित सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के बारे में है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता की प्रवृत्ति उत्पादन के समान रही है। उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण नहीं आई है।

कारणात्मक संबंध की पुष्टि करने वाले कारक

106. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक गिरावट आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि निम्नलिखित आधारों पर की जाती है:

- (क) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।
- (ख) देश में पाटित आयातों की मौजूदगी से घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत को बढ़ाने से वंचित हुआ है। घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के बावजूद जांच अवधि के दौरान अपनी कीमत को कम करने के लिए भी बाध्य हुआ है।
- (ग) संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की बिक्री कम कीमत पर की जा रही है।
- (घ) लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट प्रत्यक्ष रूप से पाटित आयातों के कारण आई है।
- (ङ.) क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष :

107. क्षति एवं कारणात्मक संबंध की उपर्युक्त जांच से प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के परिणामस्वरूप क्षति हुई है। समूची क्षति अवधि के दौरान चीन से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है। पाटित आयातों का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है जिसे काफी अधिक माना गया है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है। मालसूचियों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

108. क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु घरेलू उद्योग की इस क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। क्षति मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है :-

क्षति मार्जिन

विवरण	इकाई	समस्त उत्पादक/ निर्यातक (नार्वे)	मै0 मैक्सीकैम (मैक्सिको)	अन्य उत्पादक/ निर्यातक (मैक्सिको)
क्षति रहित कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***
पहुंच कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***
क्षति मार्जिन (%)	%	***	***	***
क्षति मार्जिन (रेंज %)	रेंज	30-40	25-35	30-40

109. यथा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का स्तर काफी अधिक माना जाता है।

च. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति लाई जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

111. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित होगा। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

112. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित होगा। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

छ. सिफारिशें

113. किए गए अनुरोधों और उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के उपरांत प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- (क) संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है।
- (ख) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण क्षति हुई है।
- (ग) यह क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी। पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद की क्षति रहित कीमत के साथ की गई है।

115. तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

शुल्क तालिका

1	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क तालिका	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3904	पाँली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	नावे	नावे	कोई	कोई	319	मी.ट.	अम.डॉ.
2	--वही--	--वही--	नावे	मैक्सिको से इतर कोई देश	कोई	कोई	319	मी.ट.	अम.डॉ.
3	--वही--	--वही--	मैक्सिको से इतर कोई देश	नावे	कोई	कोई	319	मी.ट.	अम.डॉ.
4	--वही--	--वही--	मैक्सिको	मैक्सिको	मैक्सीकैम रेजिन विनिलिकास एस.ए. डि सीवी	मैक्सीकैम रेजिन विनिलिकास डि सीवी एस.ए. डि सीवी	309	मी.ट.	अम.डॉ.
5	--वही--	--वही--	मैक्सिको	मैक्सिको	क्र.से. 4 से इतर अन्य कोई संयोजन		429	मी.ट.	अम.डॉ.
6	--वही--	--वही--	मैक्सिको	नावे से इतर कोई देश	कोई	कोई	429	मी.ट.	अम.डॉ.
7	--वही--	--वही--	नावे से इतर कोई देश	मैक्सिको	कोई	कोई	429	मी.ट.	अम.डॉ.

आगे की प्रक्रिया

116. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 8ग, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

117. केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इस जांच परिणाम के खिलाफ कोई अपील वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) में दायर की जा सकेगी।

जे.के.दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2015

Final Findings

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning import of “Poly Vinyl Chloride Paste/Emulsion Resin” originating in or exported from Norway and Mexico.

F.No.14/5/2013-DGAD:-Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), under the above Rules, received a written application from M/s Chemplast Sanmar Limited Chennai (hereinafter referred to as the “applicant or petitioner”) as domestic industry of the subject goods, alleging dumping of Poly Vinyl Chloride Paste/Emulsion Resin’ (PVC Paste Resin) (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Mexico and Norway (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
3. The Authority notified the Embassy of the Norway and Mexico in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.
4. The Authority issued a public notice dated 22nd January, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods from the subject country.
5. The Authority forwarded a copy of the public notice to all known exporters (whose details were made available by the Applicants) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
6. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
7. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
8. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

INEOS Norge AS Rafnes N-3966 Stathelle Norway	Mexichem Corporativo Río San Javier No. 10, Fraccionamiento Viveros del Río, Tlalnepantla, Edo. de Mex. C.P. 54060, Mexico
--	--

9. In response to the initiation notification, only Mexichem Resinas Vinilicas, S.A. DE C.V. from Mexico filed the exporter questionnaire response.

10. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Akzo Nobel Coatings India Pvt. Limited 62P Hoskote Indl Area Pilgumpa Karnataka 562 114	Alleppey Co Ltd Post Box No.2602, Tac House Alleppey, Kerala
Anabond Essex India P Ltd 1F Dev Regency, 1 st Main Road Gandhinagar, Chennai 20	Creative World 11-12, 2nd Floor, Nariman Indl Est New Link Road Village Chincholi Malad (W) Bombay
D C Mills (P) Ltd P.B.No.160, Kalavoor Alleppey Kerala	DRG Leather P Ltd Karaipudur Thrissur
Eftec Shroff India LimIted Excel Est,S Vivekanand Road Goregaon Bombay 400 062	Fenner Conveyor Belting Pvt Ltd Madurai-Dindigul Road, Nagari,Vadipatti Taluk, Madurai 625 221, Tamilnadu
Fenoplast Ltd 165 166 Nandigaon Village Medak District Andhra Pradesh	Halol Leather Cloth Ltd 7-A, Dharamsi Cross Street Bhendi Bazar Bombay 400003
Henkel Teroson India (P)Ltd 74, Indl. Devp Colony Mehrauli Road Gurgaon Haryana	Hindusthan Seals Ltd Bikaner Building, 3rd Floor 8/1, Lal Bazar Street, Calcutta
International Conveyore Ltd E-39, MIDC, Industrial Area, Chikathana, Aurangabad 431210	Jasch Industries Ltd 5105 Blk D - Gali 1 - Krishan Ngr Karol Bagh New Delhi 110 005
Kerafibertex International P Ltd 53-57 Kinfra Industrial Park, Kisumagiri P.O Kakkandu, Cochin 682030	Kerala Balers Ltd P O Box 28 3, Alleppey Kerala
Mayur Uniquoters Ltd Rotary Bhawan Church Road Jaipur	Oswal Cable Products A 93/1 Wazirpur Indust Area- 52 Wazirpur Indust Area New Delhi 110 052
Phiroze Sethna P Ltd 101-A, Road No.16 Wagle Indl.Estate Thane	Polmann India Ltd Maker Chmbs-V Nariman Point Bombay 400 021
Polynova Industries Ltd 92-101, Kundaim Industrial Estate, Panji Ponda Road, Kundaim, Goa-403110	Premier Polyfilm Ltd 305 Elite Hs 36 Community Centre Kailash Colony New Delhi
Roto Screentech Ltd 301, Silver Chamber Tagore Road Rajkot 360002	Shivam Textiles A 1/126 Janak Puri- New Delhi 110 058
Siel Tizit Ltd 58 Motilal Gupta Road Barisha Ind 700008 Calcutta	Sneha Vinyl Products P Ltd Industrial Dev Area Renigunta 517520 AP
SRF Limited Viralimalai 621316, Tamilnadu, India	Texon Industries P Ltd 19 Marshalls Road Egmore Chennai 8
Travancore Cocotuft P Ltd Coir Park, Thiruvizha, Cherthala-688 539, Kerala	Yash Marketing Agencies 1/2 Chitra-Ami Apartment, Ashram Road, Ahmedabad 380009
Valley Velvette (P) Ltd 1/2 Chitra-Ami Apartment, Ashram Road, Ahmedabad 380009	Om Vinyls Pvt Ltd 4- Ground Floor, Vyapar Bhavan, 49, P D'Mello Road.

	Carnak Bunder, Mumbai-400009
Gomti Exports 410, 121/127 - Mandvi Navjivan, Mumbai-400003	RMG Polyvinyl India Limited 302, Elite House, 36, Community Centre, Zamroodpur, New Delhi 110048
Veekay Vinyl 4283 (A)/4 Jai Mata Market, Tri Nagar, New Delhi-110035	United Decorative Private Ltd 46/3, Site-IV, UPSIDC Industrial Area, Sahibabad-201010, Gaziabad UP.
B.B. Trading Co. B -10, Shoe Market, Delhi 110035,	Incom Cables Pvt Ltd 'A-1/73 Safdarjang Enclave, New Delhi 110029
Kundan Rice Mills Ltd. D-16,City Chambers Prashant Vihar, Delhi 110085	'Lucky Plast Ltd. 6-B/3 N.E.A. Old Rajinder Nagar, New Delhi
Mansfield Cable Co., B 41, Sector-6, Noida 201301	Marvel Vinyls Limited G-73, Connaught Circus, New Delhi 110001
Nouvelle Credits Pvt.Ltd. 4316/17-3rd Floor,Saini Market, Bahadur Garh Road, New Delhi 110006	'Orient Overseas Private Limited, C-15,Sma Co-Op Industrial Estate, 'G.T.Karnal Road, Delhi 110033
Oswal Vinyl Industries Ltd. 2/49,Roop Nagar, Delhi 110007	Paramount Communications Ltd. M-4, Bahubali. 59/17, New Rohtak Road New Delhi
'Poonam Plastic Produtcs 76, Shahzada Bagh Extn. Old Rohtak Road, Delhi 110035	R.K.Industries C-595, DSIDC Industrial Park, Narela, Delhi 110040
'R.K.Trading Company 2nd Floor,Saini Market, 3007,Bahadur Garh Road, Delhi 110006	R.S. Overseas Pvt. Ltd. F-31 - Bhagawant Singh Market. Bahadur Garh Road, Delhi
Rallison Electricals Pvt. Ltd. Plot No.164(1310), Vpo. 'Manpura, Tehsil Nalagarh, Distt., Solan	'Responsive Industries Ltd Mahagaon Rd,Betegaon, Boisar East, 'Tal-Palghar, Dist-Thane, 'Maharashtra
Ritzy International Pvt.Ltd. D-832, New Friends Colony, New Delhi 110065	Royale Industries G-1085, DSIDC Industrial Complex, Narela, Delhi
S. K. Traders K.No.358, Street No.2, Kusak Road-2, Saroop Nagar, Delhi	'S.L.F.(India) Limited 6, Sehgal Colony, Court Lane, Delhi 110054
S.R.Polychem 4311/5-Jai Mata Market, Trinagar, Delhi 110035	Sheel Polytex 10761-62, Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi 110055
Sheel Vinyls H-41, Green Park Extn., New Delhi 110016	Shiv Shakti Industries D-7, Kh.No.30/23, Nangli Poona Extension, Delhi 110036
'Sunny Chemicals Pvt Ltd. C-151, Preet Vihar, Delhi	Supreme Electricals 'D-33, Bali Nagar, New Delhi
'Sushi Chem Plastic Industries 72-B, Shahzada Bagh Extn., 'Old Rohtak Road, Delhi	Terra India F-118,Ashok Vihar, Phase-I, Delhi 110052
Trishla Vinyl Tubes Ltd. 4.A Race Course	'Ultimate Industries Ltd. E-260,Greater Kailash-II,

Trishla House, Dehradun 248001	New Delhi
'Veekay Polycoats Ltd. Flatno 7d, 7th Floor, Hansalaya Building, 15 , Barakhamba Road, New Delhi	Vima International Products 307/3 Shahzada Bagh Old, Rohtak Road, Delhi 110035
Akshat Plastics Pvt. Ltd., 4648/15, Jai Mata Market, Trinagar, New Delhi 110035	'Vipin Polymers Pvt.Ltd. 193, Bhagirathi Appointments, 'Sector-Ix, Rohini, Delhi
Arinits Sales Pvt. Ltd., 603, Nirmal Tower, 26 Barakhamba Road, New Delhi 110001	Bansal Chemicals (India) F/14, Mahaveer Chambers, 103, Nyniappa Naicken Street, Chennai 600003

11. In response to the initiation notification, following importers have filed the importer's questionnaire response

- a. M/s Jasch Industries Ltd.
- b. M/s Jasch Plastics India Ltd.
- c. M/S Polynova Industries Ltd.
- d. M/S SSF Polymers Ltd.
- e. M/S Mayur Uniquoters Ltd.
- f. International Conveyors Limited

12. Copy of initiation notification was also sent to following user association of the product under consideration.

Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (LCPMA) 5105 Blk D Gali 1 Krishan Ngr Karol Bagh New Delhi 110 005	The All India Plastic Manufacturers Association (AIPMA) 6/38, Vikram Vihar, Lajpat Market-4, Delhi, 110024
All India Federation of Plastic Industries (AIFPI) Kirti Nagar, New Delhi 110015	UPVC Window & Door Mfrs. Association (UWDMA) C/o Fenesta, Plot#52, Sec32, Institutional Area, Gurgaon-122003, Haryana, India.

13. In response, the M/s Leather Cloth and Plastics manufacturers Association filed submissions.

14. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in present findings.

15. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

16. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.

17. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations;

18. The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

19. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2012 to 30th June 2013 (15 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.
20. The Authority held an Oral Hearing on 29th September, 2014 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6(6). The parties who attended the oral hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. The interested parties were allowed to present rebuttal arguments/rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Designated Authority has considered submissions received from various interested parties appropriately.
21. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
22. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic producers and the cooperative exporter/producer from subject countries.
23. Exchange rate for conversion of US\$ to Rs. is considered for the POI as Rs.54.86 as per customs data.
24. *** in this Final finding represents information furnished by the applicants on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE
 - A.1 Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties
 - A.2 Views of the Domestic Industry
25. The domestic industry has made the following submissions with regard to the issue of the product under consideration.
 - a. The product under consideration in the present case is "Poly Vinyl Chloride Paste/Emulsion Resin" also called "Emulsion PVC Resin" PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). The subject goods are classified into different grades based on their K- value. Main applications of the subject goods depend upon their K- value. The present investigation covers all grades of the subject goods. The common applications of PVC Paste Resin are in production of artificial leather (rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives etc).
 - b. Customs classification of the product under consideration has been a matter of significance and concern in investigation. The Designated Authority in view of the earlier completed investigation regarding imports of same subject goods from European Union has considered the classification of the product under consideration as 3904.
26. Views of the M/s INEOS ChlorVinyls (Producer/Exporter) Norway
 - a. INEOS supplied 3 prime products to the Indian market, Pevikon P11, Pevikon P15 and Pevikon P1412. INEOS has also sold small quantities of "scrap material" to a merchant which is sold to end customers to blend into their application at low levels.
 - b. INEOS supplies 1 customer in India with P1412 which manufactures belting for several markets. P11 & P15 is sold as a "commodity" product for general applications such as artificial leather. The total Indian market is estimated at 100,000 mt or more per annum and growing.
27. Views of the M/s International Conveyors Limited (Importer)
 - a. The Applicant has claimed support from M/s Finolex Industries Ltd. However, the said Annexure is not there in the Application. Any data given to establish injury have not been taken from Finolex. As such, Finolex's support to the Application is dubious.
- A.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY
28. The Authority notes the submissions made and holds that the product under consideration is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' also called "Emulsion PVC Resin" and referred to as PVC paste resin (hereinafter also referred to as the subject product or the subject goods). There are primarily two types of PVC resins, namely PVC Paste Resin

and PVC Suspension Resin. All grades of Poly Vinyl Chloride Paste Resin” also called “Emulsion PVC Resin” and referred to as PVC paste resin are subject matter of present investigation and are within the scope of product under consideration. However PVC Suspension Resin, PVC Blending Resin, co-polymers of the PVC Paste Resin and Battery Separator Resins are excluded from the ambit and scope of this investigation.

29. The PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). VCM is produced using EDC, which in turn requires chlorine as one of the major products. The subject goods is produced and sold in the form of white/off-white powder. The properties of the subject goods are described in terms of K value, inherent viscosity, particle size retention, heat loss, initial BFB etc.
30. The subject goods fall under Chapter 39 of the Act under subheading no. 3904. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
31. It is noted that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the petitioner and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The Authority, on the basis of the examination, holds that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the goods imported or produced in subject countries within the meaning of the Rules. Further, none of the interested parties have raised any objection with respect to the scope of the product under consideration or the like article.

B. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

32. Interested parties inter alia stated as follows:

Views of the Domestic Industry

33. The domestic industry has made the following submissions with regard to the issue of standing
 - (i) The petition had been filed by Chemplast Sanmar Limited. Apart from the Petitioner there is one more producer of PVC Paste Resin in India, i.e. M/s Finolex Industries Limited.
 - (ii) Petitioner Company has neither imported nor had any significant export of the subject goods during the period.
 - (iii) Production of the Petitioner constitutes a major proportion in Indian production; domestic production of the petitioner account for significantly more than 50 percent of total Indian production of the like product; and the application has been made by or on behalf of the domestic industry. Further, the petitioner company constitutes “domestic industry” within the meaning of the Anti-Dumping Rules.

Examination by the Authority

34. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

35. The petition has been filed by M/s Chemplast Sanmar Limited, Chennai. There is one more producer namely M/s Finolex Industries Limited, of the subject product in India. The authority notes that M/s Finolex Industries Limited has though supported the petition, the petitioner on its own also meets the requirements of the standing as Domestic Industry under the rules. The petitioner has confirmed that they have neither imported the product under consideration, nor they are related to any importer or exporter of the product under consideration. The Authority after examining the information on record holds that the applicant company constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and the applicant satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra..

C. OTHER SUBMISSIONS

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

36. The interested parties have made the following submissions with regard to these issues.

Views of Importers

- a) M/s Bansal Chemicals (INDIA) have stated that they have not imported any PVC from Norway or Mexico and that have imported only ** of Russian origin from Dubai.
- b) M/S SRF have stated that they have not imported PVC /Emulsion Resin originating in or exported from Mexico and Norway.
- c) M/s Leather Cloth And Plastics Manufacturers Associations (LCPMA) have stated that If the anti dumping duty is imposed on the basic raw materials, these raw materials become costly and finished goods made by small scale industries also become costly vis-a-vis the imported finished goods. Ultimately the small scale industries become unviable resulting in closure of small scale industries. The suppliers of PVC Resin whether in Korea or Europe, are giant Petro Chemicals Companies & Indian market is very small. Therefore the real sufferers of anti-dumping duty will not be the foreign suppliers but the Indian PVC Leather Cloth manufacturing units in small & unorganised sector.

Views of the M/s Mexichem Resinas Vinilicas, S.A DE C.V. (Producer/ Exporter) Mexico

- a) There is a variance in the POI proposed by the Authority in the Initiation Notification and the one suggested by the Domestic Industry (DI) in its Application.
- b) The DI is a habitual protection seeker and misuses the protection offered by the ADD to support itself unfairly even after being inefficient, through an oppressive tax regime.

Examination by the Authority

37. The authority holds that the purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.
38. The Authority notes that ADD investigation is country specific and the same is undertaken in accordance with the existing ADD rules. Further, the Authority has considered the POI as 1.4.2012 to 30.6.2013 as stated in the initiation notification and the analysis has been carried out for the same period.

D. Methodology and determination of Dumping and Dumping Margin

D.1 NORMAL VALUE

Views of Domestic Industry, Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

39. The following submissions are made by various interested parties in respect of normal value, export price and dumping margin

Views of the Domestic Industry

40. The following are the submissions made by the applicants in respect of normal value.

- a. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to Normal Value and considered relevant by the Authority are as follows:
- b. Efforts were made to get an evidence of actual transaction price of sale of the PVC paste/emulsion resin in the domestic market of subject countries. However, petitioner has not been able to get adequate and accurate evidence of the transaction prices either for the domestic market of the subject countries or for exports to other countries.
- c. The prices of PVC Paste in different parts of the world are published by Harriman Chemsult (now IHS)
- d. With regard to Norway and Mexico, petitioner submits that Harimann Chemsult does not publish any specific information about prices in Norway and Mexico.. Petitioner has therefore determined normal value for Norway based on prices in Sweden and for Mexico based on prices in the United States as reported by Harimann Chemsult. As a conservative estimate, the petitioner has deducted approx US\$ 50 pmt to account for the expenses that the exporters should have incurred in selling the product in the domestic market based on experience of the petitioner.
- e. Export price has been determined considering volume and value of imports for the proposed period of investigation as per data released by DGCI&S. The export price is adjusted, for the following expenses i.e. Ocean freight, Marine insurance, Inland transportation in the country of export, Bank Charges and Port expenses, which

the exporter should have incurred for exporting the material to India. The petitioner has claimed various adjustments based on market information and general experience on the basis of most conservative estimates.

- f. The Dumping Margin is not only more than de minimis but also significant and substantial for both subject countries.

41. Views of the M/s Mexichem Resinas Vinilicas, S.A. DE C.V. (Producer /Exporter) Mexico

- a. While calculation of the 'dumping margin' off-grade resin produced at the time of production of the subject goods should not be considered, as they do not fall in the ambit of the product under consideration.

42. Views of the M/s INEOS ChlorVinyls (Producer/Exporter) (Norway)

- a. The markets and applications in Norway & India are not comparable on a like to like basis.
b. INEOS has supplied material and will continue to supply provided there is margin & profit. Currently, INEOS has only one customer in India on P1412 as all other customers can buy equivalent grades to P11 & P15 from local producers or importers at levels significantly below our quoted price for P1412 which is higher than the prices for P11 & P15 equivalents from competitors.

43. Views of the International Conveyors Limited (Importer)

- A. The Applicant has determined Normal Value for Norway and Mexico on the basis of two things:
i. Prices in Sweden and the US (as reported by Hariman Chemsult).
ii. Probable expenses incurred by the exporter while selling the product in the domestic market – USD 50/MT deduction as the said expenses.

This determination, however, is impermissible in law. This is because:

- a) The determination of Normal Value on the basis of export price to an appropriate third country should have been only if there were no sales or low volume of sales of the subject goods in Norway and Mexico.
b) The determination should be in tandem with the provision of Article 2.2 of the Implementation of Article VI of the GATT.
c) Norway and Mexico are market economies. The use of third country for determining normal value, as has been done in the present case, is permissible only for non-market economy countries.
d) Further, no rationale has been provided for selecting Sweden and the US as suitable countries in relation to the subject countries for the purpose of determination of the normal value.
e) The deduction of USD 50 is also arbitrary and no reason has been provided by the Applicant for this deduction or as to how this amount was rounded upon as the expenses incurred by the exporter.
f) The normal value has been based on fabricated information to skew it upwards in benefit of the Applicant. The calculations of the normal value are also kept confidential due to which, the responding party/ies cannot frame their arguments.
g) Also, the determination of Normal Value based on the cost of production incurred by the domestic industry in India is not envisaged for market economies such as Norway or Mexico, and is therefore, inconsistent with the relevant provisions of law.
h) Immediate termination of the Application required for lacking the due information required to establish dumping margin.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

44. The Authority notes that it sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However only M/s Mexichem has filed response and therefore authority has evaluated the normal value as under:

45. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-
(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Norway

46. None of the exporters/producers in Norway have cooperated with the Authority in this investigation. M/s INEOS ChlorVinyls has only made submissions with no questionnaire response filed. In view of non-cooperation by the exporters/producers in Norway, the Authority has considered information and facts available on record. The Authority notes the claim of the domestic industry that efforts were made by them to obtain information about the prices of subject goods prevailing in the domestic market of Norway, but no reasonable, authentic and accurate information could be obtained by them about the actual transaction-selling price of subject goods in their domestic market. Considering non-co-operation of the exporters/producers from Norway in the instant matter, the Authority has resorted to the construction method of determination of the Normal Value. Therefore, the Authority has constructed the Normal value for all Producers/Exporters from Norway considering international prices of major raw materials, consumption factor of domestic industry and conversion cost of domestic industry. The Normal value so determined works out to US\$ **** per MT.

Mexico

47. M/s. Mexichem Resinas Vinilicas, S. A. DE C.V, the producer/exporter from Mexico has responded to the Authority. The company also provided additional information and clarification as sought by the Authority. Authority has therefore, determined normal value for M/s. Mexichem Resinas Vinilicas, S. A. DE C.V as per the information provided for sales in the domestic market in accordance with the ADD rules. The company has claimed adjustments on account of freight, insurance and credit cost, which have been accepted by the Authority and the Normal value is determined as US\$ **** per MT.

D.2 EXPORT PRICE

Norway

48. The Authority notes that none of the exporters / producers from Norway has cooperated with the Authority in this investigation. In view of non-cooperation by the exporters / producers in Norway, the Authority has considered information and facts available on record and the Authority has determined export price as per statistics provided by DGCI&S of the subject goods during the relevant period. Adjustments as informed/desired by the domestic industry are appropriately made from the CIF price reported by the DGCI&S. The Authority has determined the weighted average import price for the product under consideration. Export price is determined as US\$ *** per MT

Mexico

49. The Export price for M/s Mexichem Resinas Vinilicas, S. A. DE C.V Mexico is determined as per the information provided by M/s Mexichem Resinas Vinilicas, S. A. DE C.V Mexico. Adjustments are claimed on account of overseas freight, insurance and credit cost which are allowed by the Authority and certain adjustments on export price not informed by the exporter are being adopted on the basis of information made available by the petitioner. These include port expenses and inland freight both @1% of the weighted average FoB export price. The Export price so determined comes to US\$ *** per MT. In case of non-cooperative producer and exporters, export price has been determined based on the facts available and considered by the authority in such circumstances. The Export price is determined as US\$ **** per MT

D.3 DUMPING MARGIN

50. Considering normal value and export price as explained above, the dumping margin is determined as under:

Particular	Normal value	Export price	Dumping Margin	Dumping Margin%	Dumping Margin
	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	% Range
Norway					
All producers and exporters	***	***	***	***	25-35
Mexico					
M/s Mexichem	***	***	***	***	20-30
All other than Mexichem	***	***	***	***	35-45

E. INJURY AND CAUSAL LINK

F. E.1 Submissions made by importers, exporters, users and user associations

51. Submission made by the interested parties are summarized below:

E.2 Submissions made by Domestic Industry

52. The domestic industry has submitted that:

- a) The domestic industry has suffered injury as a result of dumping of the subject goods a number of times. The Designated Authority had at earlier occasions recommended imposition of anti dumping duties on imports of subject goods from European Union, which were imposed by the Ministry of Finance. The Performance of the domestic industry that was expected to improve thereafter, in fact, deteriorated due to dumping from other countries including China PR, Malaysia, Korea RP, Taiwan, Russia and Thailand.
- b) The demand of the product in the Country has shown a positive movement.
- c) The volume of dumped imports from subject countries has increased in absolute terms over the injury period with a significant increase during proposed period of investigation.
- d) The increase in imports, both in absolute terms and relative to demand, domestic production and total imports have been more than significant.
- e) Landed price of imports from subject countries were significantly below the net sales realization of the domestic industry, resulting in significant price undercutting.
- f) While the Average Landed price of imports from Norway have been consistently lower than selling price of the domestic industry, the price undercutting has increased after a minor withdrawal. The fissure between landed price of imports and selling price of DI is getting bigger, in the POI.
- g) The substantial difference between landed price and domestic industry prices prevented the domestic Industry from effecting legitimate price increases which otherwise would have occurred to a significant degree in view of increase in cost of sales and offsetting of previous dumping.
- h) Although the domestic industry has not enhanced its capacities over the injury period, there has been a re-allocation of capacities from battery separator unit to PVC Paste thereby increasing effective capacity available to the product under consideration.
- i) The demand of the product under consideration has increased significantly throughout the injury period with a slight decline during 2010-11.
- j) The production of the domestic industry has increased over the period. Since the domestic industry kept its prices matching to the import prices, the sales volumes and consequently production and capacity utilization improved over the period.
- k) Inventories with the domestic industry have shown a certain dip in 2011-12 with a significant increase during the period of investigation.
- l) The growth in terms of most of the parameters is negative.
- m) The landed value of dumped imported material is significantly below the selling price of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian market. Whereas the cost of production increased, selling price of the domestic industry declined.
- n) Petitioner is suffering significant financial losses as a result of dumping from one after other countries. The petitioner could have enhanced the capacity further, had the market for the product been fair.
- o) Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow, inventories and market share.
- p) Until 2009-10 there were no exports of subject goods from Norway and small quantities of exports from Mexico. The European producer has shifted supplies from Norway plant since imposition of anti dumping duty imposed on Europe and therefore the exporter alone has significant potential to cause significant injury to the domestic industry.
- q) According to their own website the producer has a capacity of 110 Kilo-Tonnes for production 'Emulsion PVC' which is divided between two plants in Norway and Sweden.
- r) The volume of imports has increased significantly in a relatively short period.
- s) The price undercutting is significant. The imports are entering at such prices that there is strong likelihood of further importation. The significant price undercutting is despite reduction on the prices by the domestic industry in an effort to reduce the significant price gap.
- t) Given the increasing demand in India, excess capacity with foreign Producer and re-routing of the products from Norway instead of EU countries subject to anti dumping duty, the producers will continue to remain aggressive in the Indian market.
- u) Thus, in addition to material injury already suffered, the domestic industry is threatened with material injury due to dumped imports.
- v) The imports of product under consideration from other countries are either already attracting duty or the volume is de-minimis. It cannot, therefore, be said that the imports from other countries have also caused injury to the domestic industry.

- w) There is no contraction in demand of the subject product. Possible decline in the demand has not caused material injury to the domestic industry.
- x) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.
- y) There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- z) Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
- aa) The injury claimed is on account of domestic operations. Petitioner has exported in small quantities therefore; injury to domestic sales cannot be attributed to exports.
- bb) Imports are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the volume of imports has increased significantly;
- cc) The price pressures being felt by the domestic industry are purely because of dumping of the product in the country.
- dd) Price undercutting being caused by the dumped imports is preventing the domestic industry from increasing its prices.
- ee) Due to the price depression, the profits have declined to the extent of the domestic industry suffering losses.
- ff) Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of dumped imports;
- gg) The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of economic parameters.

E.3 Views of the M/s Mexichem Resinas Vinilicas, S.A. DE C.V. (Producer /Exporter) Mexico

- a. The increase in demand of the subject goods in the domestic markets is not in tandem with the increase of production of the subject goods in the domestic market. Thus, the DI is unable to meet the demands of the domestic market. The Indian demand is higher than the total capacity of the Indian producers.
- b. The following positive developments of the DI denies that the DI is suffering injury :
 - i. The capacity utilization, production and sales of the domestic industry has increased.
 - ii. The productivity per day and per employee has increased exponentially.
 - iii. The market share of the DI has increased considerably.
 - iv. There is an increase in wages and employment.
 - v. The net selling price of the DI has increase and even then the DI claims to have incurred losses. Injurious effects of investment-related expenses/cost should be segregated from the injury caused by alleged dumped imports.
 - vi. The balance sheet of the DI do not reflect the losses claimed by the DI.
- c. There is no causal link between the injury claimed by the DI and the imports. The DI has recorded positive growth. However, since the DI does not have the capacity to meet the entire demand, the shortfalls are met through imports. The imposition of unnecessary ADD would be detrimental to the consumer.
- d. Resin manufacturers in India have formed a cartel and are varying prices on a month-to-month basis without any substantial change in the input costs and are wrongly alleging dumping.
- e. The imports from the subject countries are negligible when compared to imports from countries already attracting ADD. The loss of market share, if any, of DI is due to imports of subject goods from the countries on which duties have already been imposed and not from Mexico.
- f. The injury to the DI should be rather attributed to fluctuations in prices of raw material, tight liquidity situation etc as opposed to imports from the subject countries.

E.4 Views of the M/s INEOS ChlorVinyls (Producer/Exporter) Norway

- a) The comparison of end use of the Paste PVC supplied to India and the use within the Norwegian market cannot be compared on a like for like basis.
- b) The goods supplied either directly or via distributor are at prices that provide positive margins to INEOS based on a normal value method (cost of production, logistics to Indian port, administration, selling costs and PROFIT)
- c) Goods supplied directly to Indian customers are fairly priced on a CIF basis and internal transport costs to customer's factory are paid by the customer). This price is based on market intelligence/knowledge of our competitors from other markets.
- d) The domestic industry is not suffering material injury and is thriving.
- e) There is no causal link between INEOS imports and any alleged injury.
- f) It is not in the interest of India to impart anti dumping measures on Norwegian product which will affect negatively the competitiveness of the Indian customers.
- g) The price of Pevikon product from INEOS are, when compared, similar and often higher than prices charged by the Petitioner and many other importers from other markets.
- h) Domestic industry is not suffering material injury and any alleged injury cannot be attributed to imports from INEOS.
- i) Imports from INEOS have been at or below 5% of the total market on an annual basis. In the period April 2012 to June 2013. In all other periods INEOS share of the total market on an annual basis has been between 1 and 2.5 % .

Assessing total imports, in 2 out of the 4 periods INEOS has had less than 3% of imports and currently is below the 3 % threshold. Therefore, it is hard to see any argument that imports from INEOS have exerted price pressure in the Indian Paste Market.

- j) Many factors which can affect the economic health of the Indian Past producers include rising raw material costs, rising utility costs, increased overheads/salaries, pricing policies in the different periods under review and lastly, supply- demand balance both locally and globally.
- k) Until India can be self sufficient in Paste PVC (and it will take several years to get there) the opportunities to compete on an open and fair basis should remain.
- l) Supply by INEOS from Norway falls below the 3 % import level (de minimus margin), there is no causal link to injury caused to the domestic industry and that product end applications cannot be compared on a like for like basis.

E.5 Views of the International Conveyors Limited (Importer)

- a. There is no absolute or relative increase in the volume of imports from Mexico and Norway causing injury to the domestic industry as claimed by the Applicant.
- b. The net selling prices from the beginning of the injury period to the end of the POI is substantially more as compared to the increase in the cost of sales. Applicant has failed to establish a case of price depression caused by imports on the prices of the domestic industry.
- c. The Applicant has also failed to establish a “significant price undercutting” due to dumped imports with respect to like product in India, in terms of the landed price of imports.
- d. The data provided by the Applicant fails to establish a case of injury.
- e. The imports did not seem to have any effect on the production and capacity utilization of the domestic industry as both have shown consequent increase in the POI.
- f. The consistent increasing trend in the employment, wages and productivity definitely indicate a positive state of the domestic industry as opposed to the claims of the Applicant that these do not reflect the state of the domestic industry.
- g. The sales of the domestic industry has also increased with a rise in demand of the subject goods in the domestic market.
- h. The Applicant has provide relevant data only for Norway and not for Mexico. It reasonably enables the responder to conclude that imports from Mexico do not pose a threat of material injury to the domestic industry.
- i. The Applicant has failed to back up its claims of “excess capacity” in Norway due to which, as claimed by the Applicant, Norway would stay aggressive in the domestic market. Thus, this amounts to a mere allegation not substantiated by any evidence.
- j. The claims of material injury by the Applicant also do not stand on strong grounds as the Applicant has not provided any evidence in support of its claims of price depression.
- k. There are no sufficient proofs to establish a causal link between the injury and exports from the subject countries. The alleged injury caused to the domestic industry can be attributed to one the following reasons:
 - i. The domestic industry lack the facilities required to meet the market demands. As such, much of its market share has been reduced.
 - ii. The main cause for losses to the domestic industry is also delay in the completion of the major products.
- l. The imports have increased during the POI to meet the demands of the local market.
- m. However, imports from other countries are already attracting ADD or are below de minimis. Market share in demand of the subject country imports is a mere 7% during the POI as compared to 36% which is the share of other countries attracting ADD. (pg 15; para 64-65;WS dated April 2, 2014)
- n. The Applicant has itself accepted that the “domestic industry with its limited capacity can in no situation meet the domestic demand”. (pg 14; para 58;WS dated April 2, 2014) As such, the presence of imports is a must to meet the consumers’ demands in the domestic market.
- o. The domestic users hesitate to take the subject goods from the domestic producers due to the recurrent delays in delivery, not providing the quotation for orders, frequent revision of its prices and the non-availability of subject goods in the first half of the month. Thus, losses due to these cannot be attributed to the exports from the subject countries.

E.6 Examination by the Authority

- 53. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury and caused between dumping and consequential injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.
- 54. Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these

imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

55. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as under:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

56. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions in the respective paras as below.

Assessment of Demand

57. The demand of subject goods has been determined by adding domestic sales of domestic like product with imports of subject goods from all countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The Authority notes from the table below that demand of subject goods increased significantly over the injury period as can be shown in the table below.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	April'12- June'13 (POI)	Annualized POI
Sales of domestic industry	MT	26,240	35,125	44,382	56,062	44,849
Sales of Other Indian producer	MT	8,145	9,431	11,490	14,882	11,906
Norway	MT	-	1,140	1,016	5,852	4,682
Mexico	MT	432	-	-	3,572	2,858
Total Subject Country	MT	432	1,140	1,016	9,424	7,540
Country attracting Duty	MT	23,492	24,101	27,052	44,479	35,583
Other Countries	MT	2,017	2,798	1,862	1,375	1,100
Total Demand	MT	60,326	72,595	85,802	126,222	100,978

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

Import Volumes and Share of Subject Countries

58. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject countries have been analyzed as under:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	Apr'12- June'13 POI	Annualized POI
Total Imports	MT	25,941	28,039	29,930	55,279	44,223
Norway	MT	-	1,140	1,016	5,852	4,682
Mexico	MT	432	-	-	3,572	2,858

Total Subject Country	MT	432	1,140	1,016	9,424	7,540
Other Country attracting anti-dumping duty	MT	23,492	24,101	27,052	44,479	35,583
Other Countries	MT	2,017	2,798	1,862	1,375	1,100
Market Share of Imports						
Norway	%	-	4.07	3.40	10.59	10.59
Mexico	%	1.67	-	-	6.46	6.46
Total Subject Country	%	1.67	4.07	3.40	17.05	17.05
Other Country attracting anti-dumping duty	%	90.56	85.95	90.38	80.46	80.46
Other Countries	%	7.77	9.98	6.22	2.49	2.49
Subject country import in relation to						
Total Imports	%	1.67	4.07	3.40	17.05	17.05
DI Production	%	1.64	3.25	2.29	16.76	16.76
Indian Demand	%	0.72	1.57	1.18	7.47	7.47

59. It is noted from the above table that:

- Imports from subject countries have increased significantly in absolute terms. The increase in imports during POI is quite significant.
- Imports from subject countries in relation to total imports have increased significantly.
- Imports from subject countries in relation to production have increased from 1.64% during 2009-10 to 16.76% in the POI.
- Imports from subject countries in relation to total demand have increased from 0.72% in 2009-10 to 7.47% in POI.

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

60. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

61. It has been examined, whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, Price Underselling, price suppression and price depression, if any.

Price Undercutting

62. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. It is further noted that the imports of subject goods from the subject countries were undercutting the domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

SN	Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	Apr'12- June'13 POI
A	Norway					
	Landed Price	Rs/MT	-	***	***	***
	Net Sales Realisation	Rs/MT	-	***	***	***

	Price Undercutting	Rs/MT	-	***	***	***
	Price Undercutting	%	-	***	***	***
	Price Undercutting %	Range	-	15-25	0-10	5-15
B	Mexico					
	Landed Price	Rs/MT	***	-	-	***
	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	-	-	***
	Price Undercutting	Rs/MT	***	-	-	***
	Price Undercutting	%	***	-	-	***
	Price Undercutting %	Range	25-35	-	-	0-10
C	Subject Country					
	Landed Price	Rs/MT	***	***	***	***
	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	Price Undercutting	%	***	***	***	***
	Price Undercutting %	Range	25-35	15-25	0-10	5-15

Price Underselling

63. In order to determine, whether price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries, the Authority has compared the landed price of imports with the NIP determined for the domestic industry as per the table below: Comparison of NIP of the domestic industry with landed price of imports shows as follows:

Particulars	Unit	Norway	Mexico
Non-Injurious Price	US\$/MT	***	***
Landed Price	US\$/MT	***	***
Price underselling	US\$/MT	***	***
Price underselling (%)	%	***	***
Price underselling (Range %)	Range	30-40	20-30

64. It is seen from the above table that the landed price of the subject goods from subject countries were significantly lower than the NIP determined for the domestic industry.

Price Suppression/Depression

65. In order to determine whether the imports of the subject goods from subject countries were suppressing or depressing the domestic prices, the Authority had compared the costs, price and landed value over the injury period. The position is shown as per the Table below:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	112	122
Net Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	141	132
Landed Price of subject countries	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	147	191	171

66. It is seen from the above table that the costs as well as selling price of the domestic industry and landed price of imports increased over the injury period. During POI the cost has increased by 22 indexed as compared to the base year. However, during the POI selling price has decreased by 9 index point as compared to previous year.

The landed value in absolute term is below cost of sales & selling price throughout the injury period, resulting in significant price suppression.

Economic parameters of the domestic industry

67. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

68. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	Apr'12- June'13 POI	Annualized POI
Capacity	MT	34,080	38,420	45,360	56,700	45,360
Production	MT	26,380	35,107	44,369	56,248	44,998
Capacity Utilization	%	77.41	91.38	97.82	99.20	99.20
Domestic Sales	MT	26,240	35,125	44,382	56,062	44,849

69. It is seen from the above table that the domestic industry enhanced capacities in the year 2010-11. The demand for the product under consideration in the Country has increased significantly over the injury period.
70. The capacity utilization, production and sales of the domestic industry have increased throughout the period. The domestic industry explained that with the increase in the capacities, the domestic industry has targeted more production. It is noted that the demand for the product under consideration is higher than what the domestic industry can produce and sell. Therefore, the domestic industry does not have any difficulties in selling the goods so long as its prices are competitive vis-à-vis imports. The domestic industry has contended that since the domestic industry kept its prices matching to the import prices, the sales volumes and consequently production and capacity utilization improved over the period.

Profits, profitability, return on investment and cash profits

71. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI	Annualized POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	112	122	122
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	141	132	132

Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	1	8	-77	-77
Cash Profit	Rs/Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	4	18	-162	-130
ROCE	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	87	115	-16	-16

72. It is noted that profitability of the domestic industry has increased in 2010-11 and further in 2011-12 but thereafter declined to negative levels during period of investigation. Further, as a result of steep decline in profitability, cash profits and return on investment in POI also declined to negative levels. As regards losses in the base year, the petitioner submitted that the losses is due to significant effect of dumped imports in that period, however, with the imposition of duty in June 2010 (provisional duty), the performance of the domestic industry improved in 2010-11 and 2011-12.

Market Share

73. The effects of the dumped imports on the market share in demand of the domestic industry have been examined as below:

Market Share in Demand	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Sales of domestic industry	%	43.50	48.38	51.73	44.42
Sales of Other Indian producer	%	13.50	12.99	13.39	11.79
Norway	%	-	1.57	1.18	4.64
Mexico	%	0.72	-	-	2.83
Subject Country Imports	%	0.72	1.57	1.18	7.47
Other Country attracting duty	%	38.94	33.20	31.53	35.24
Other Countries	%	3.34	3.85	2.17	1.09

74. It is seen from the above table that the market share of the domestic industry has increased till 2011-12 but declined during period of investigation and that of subject countries has increased significantly during period of investigation. The market share of the domestic industry declined by 7% during POI as compared to 2011-12 and whereas the market share of imports has increased almost to the same extend. The domestic industry has submitted that with the imposition of ADD on one set of countries (SSR countries), the dumping started from new sources (current subject countries).

Employment, Productivity and Wages

75. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI	Annualized POI
Employment	No	***	***	***	***	***
Productivity per day	Per Day	***	***	***	***	***
Productivity per employee	MT	***	***	***	***	***
Wages	Rs lacs	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	150	190	269	215
-------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

76. It is noted from the above table that employment with the domestic industry has increased till 2011-12 and decreased during the POI. Wages & Productivity paid have increased over the period of injury.

Inventories

77. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	154	101	199

78. It is seen that inventories with the domestic industry have increased during period of investigation as compared to base year as well as previous year.

Growth

Growth Compared to Previous Year	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	%	-	33.08	26.38	1.42
Domestic Sales Volume	%	-	33.86	26.36	1.05
Selling price domestic	%	-	***	***	***
Cost of sales domestic	%	-	***	***	***
Average stock	%	-	***	***	***
Return on capital employed	%	-	***	***	***

79. The domestic industry has recorded a positive growth in volume terms and a significantly negative growth in financial terms during the past three years. With regard to price parameters, it is noted that the growth in profits, return on investment and cash profits has been negative in 2011-12 and period of investigation.

Ability to raise capital investments

80. The Authority notes that given rising demand of the product in the country, the domestic industry has made investments in enhancing capacity. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investment may get adversely affected.

Level of dumping & dumping margin

81. It is noted that subject countries imports are entering the country at dumped prices and that the margin of dumping is significant.

J Post Disclosure Statement Submissions by the Interested Parties

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

82. Views of domestic industry

The domestic industry has reiterated its views with regard to product under consideration and has submitted that the Designated Authority may kindly specify in duty table that the product under consideration should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers. Further, the authority may specify in the duty table that the customs classification is indicative only.

83. Views of interested parties

- Product under Consideration (PUC) is vaguely defined and creates confusion. Domestic industry does not manufacture any PVC resin by Emulsion process yet they call PUC as Emulsion PVC Resin. Domestic industry manufactures PVC resin either by Suspension process or Micro suspension process.
- The domestic industry manufactures only select grades from the broad category of PVC paste resin. None of the grades manufactured by Domestic Industry qualify as low fogging resin. Different grades are distinct products and they are technically and commercially not substitute of each other.
- Domestic industry does not manufacture (1) PVC paste resin of High K Value and (2) PVC paste resin of low fogging and same should be excluded from scope of levy.
- PVC Resin produced by the domestic industry is suitable only for foam layer on account of its low K- Value and it cannot be used for the top layer for which higher tensile strength and higher mechanical properties are required which can be achieved from high K value.
- High K-Value PVC paste resin cannot be substituted by a low K- Value resin.

- f. The domestic industry manufactures suspension resin as well as paste resin. Therefore the capacity of Domestic industry is combined capacity of both products. During the period under investigation larger part of capacity has been diverted/used for suspension resin and effective capacity available for paste resin is limited.

84. Examination of the Designated Authority

- a. The authority notes various arguments of the interested parties with regard to product under consideration. The Authority notes that though PVC paste resin is produced with different K-values and has a number of types, all of them have similar physical and chemical characteristics and end-uses; even though specifications in terms of K values and other parameters are controlled by the manufacturers to produce these grades.
- b. The authority had in the earlier investigations in respect of other countries, dealt with similar issues raised by the interested parties, and addressed them in detail in that investigation. However, since the interested parties have repeated these arguments, the authority has once again addressed these arguments herein below.
- c. The Authority notes that PVC suspension resin is clearly beyond the scope of the product under consideration. Further, it is clarified that the 'Product under consideration' does not include PVC Blending Resin, Battery Separator Resin and Co-polymers of the PVC Paste Resin..
- d. As regards the argument on difference in manufacturing technology, the authority notes that the mere fact that a product is produced through two different technology routes does not render the products different. Goods produced through different technologies are in fact the same product. The interested parties have not established how the goods produced by the domestic industry are not being interchangeably used with the goods imported from subject countries. The Applicant produces PVC paste resin through micro-suspension process. It is noted that the difference in the process employed, cannot lead to different products, unless the resultant products themselves differ in terms of essential product properties. It is possible that each producer may have its own process to manufacture the product; but the difference in the production process would be immaterial as long as the resultant product's properties are the same.
- e. With regard to inclusion of high and low K value paste resin, the authority notes that the domestic industry product profile includes both high and low K value PVC paste resin.
- f. The Authority notes that PVC paste resin can be used both for top coat and foam coat. The domestic industry has contended that the same grade produced and supplied by them has been used by the consumers for both top and foam coat. The domestic industry has further clarified that in fact there are three layers of leather cloth, top coat, base coat and foam coat and all the three coats are prepared by the consumers using the same grade of PVC paste resin supplied by the domestic industry
- g. It has also been contended that the domestic industry supplies only select grades from the broad category of PVC paste resin. But these interested parties have not substantiated their claim. It is noted in this regard that similar contentions were made at the time of previous investigations relating to the product under consideration, but the Authority did not find sufficient justification to exclude the grades from the scope of the investigation. No verifiable evidence has been provided to the Designated Authority in this investigation.

As regards low fogging paste resin, the Authority notes that similar arguments were raised at the time of previous investigation of this product as well. Further the domestic industry has clarified that they can manufacture low fog PVC paste resin, should any order of commercial significance be placed with them. In this regard they provided relevant documents showing that the company's technological capability to produce different kinds of paste resin by its technology supplier and that its technology supplier is producing and selling low fogging resin. It has been further submitted by the domestic industry that members of the LCPMA are using anti-fogging agents/additives while manufacturing the leather cloth to meet specific end-use applications

Other issues

85. Views of domestic industry

- a. The freight cost incurred from factory warehouse to the depot warehouse may kindly be added to the non-injurious price before comparing the same with the landed price of imports.
- b. Since cash discounts of the domestic industry have been excluded, the credit cost incurred by the exporter should also be excluded both for determining dumping margin and injury margin.
- c. Since non-injurious price has been determined at ex-factory level, the export price for the purpose of injury margin should also be considered on ex-factory level, if freight costs of the domestic industry are not to be added.
- d. Capital employed should be determined considering present value of fixed assets, or at the least gross value of fixed assets
- e. The Designated Authority is required to consider the actual consumption of raw materials & utilities for the purpose of NIP determination.
- f. The authority is required to determine actual cost of production and not a notional lower cost of production in order to determine a price which can be compared with the import price in order to assess injury margin
- g. Requested for imposition of fixed quantum of anti-dumping duty and in terms of US\$
- h. Requested to specify in duty table that the customs classification is indicative only

86. Views of interested parties

- a. Petition chooses POI as 15 months up to 30 June 2013 making the annual comparisons less than meaningful. Further for the case initiated on January 22, 2014, there is no point having POI up to 30 June 2013. Therefore domestic

industry needs to be directed to submit revised data and POI can be chosen as FY 2013-14 to make the comparisons meaningful. A fresh Public hearing be conducted after circulating the revised data.

- b. The form of duty suggested by domestic industry is not correct at all and if at all duty needs to be imposed, it should be with reference to a fix value below which goods are treated as dumped.
- c. Also with devaluating rupee by more than 30% domestic industry is getting extra protection as imports are already becoming costly and landed value is going up accordingly. Any fixed duty will make the imports further costly and unviable. For this reason also a reference price based duty should be preferred over the fixed duty.

87. Examination of the Designated Authority

- a. The Authority has carefully examined various submissions regarding the form of duty that should be recommended in the instant matter. Considering all the facts, the Authority has considered it appropriate to recommend fixed form of duty in US\$.
- b. As regards appropriateness of the investigation period, the authority holds that the 15 months investigation period is quite appropriate and so is the time gap between the initiation of investigation and end of the period of investigation in the facts and circumstances of the present case. Further none of the interested parties have brought any evidence on record to show that the choice of the investigation period has led to distorted results or consideration of a different investigation period could have led to different factual position.
- c. As regards devaluation of INR, the authority notes that the determination is based on various economic indices including exchange rate prevailing during the POI. For changes in any economic indices/ parameters including exchange rate in the post POI the interested parties can seek recourse to review provisions as provided in the ADD Rules in case it is found that the situation has materially changed after the POI and there is no longer a justification for the anti dumping duty.
- d. As regards the domestic industry's arguments on Non Injurious Price and injury margin, the authority notes that the NIP and injury margin has been determined as per Annexure III of the AD Rules and in line with consistent practice followed by the authority.

Dumping margin

88. Views of interested parties

- a. The Authority has unreasonably deducted additional adjustments on account of port expenses and inland freight while arriving at the Ex-Factory Export Price even when it is the express submission of the exporter that no such adjustments exist. Further the Authority has not undertaken onsite verification and therefore the adjustments on account of port expenses and inland freight are not based on the records.
- b. Even if the normal value is determined based on facts available the same must be permissible under the relevant provisions of the law. The method of normal value determination is legally impermissible.
- c. In the context of the present investigation, it is not the case that there are no domestic sales of the subject goods in Norway, nor is it the case that there is a low volume of sales of the subject goods in these countries. In addition, there is no evidence to establish the presence of a particular market situation in Norway that necessitates using alternative methods for determination of the normal value. Therefore, the normal value should have been determined based on the comparable price for the like article when destined for consumption in Norway.

89. Examination of the Designated Authority

- a. As regards construction of normal value for Norway, the Authority notes that none of the producers/exporters from Norway have cooperated with the authority. Further, the petitioner submitted that there is no publicly available evidence of actual selling price in the domestic market in Norway and the domestic industry is required to provide information that is reasonably available to it. While disputing the claim of normal value, none of the interested parties have provided any alternative evidence of normal value. The authority is required to proceed based on best available information on record. Under the facts & circumstances, it is therefore appropriate to determine normal value on the basis of best estimates of the cost of production.
- b. As regards argument regarding adjustments on account of port expenses and inland freight, the authority holds that some expenses on these elements are unavoidable and therefore the same has been considered by the authority on the basis of best available data. Further the exporter has not been able to substantiate with documentary evidence that expenses on these two elements are nil.

Injury & Causal Link

90. Views of domestic industry

The domestic industry has reiterated its earlier submissions with regard to injury & causal link.

91. Views of interested parties

- a. The Disclosure Statement itself records that many of the aforesaid factors indicate improvement. Capacity utilization, production, sales, and market share have increased. Accordingly, it may be stated that the subject goods are not causing any injury to the domestic industry.
- b. The imports of the subject countries have no adverse price effect on the domestic industry and injury if any is on the basis of related factors.
- c. There is no causal link between the subject imports and alleged injury to the domestic industry. It is further submitted that injury, if any, to the Domestic Industry or any adverse price effect cannot be caused due to minimal exports made from Mexico.

- d. It would be erroneous for the Authority to determine that injury is being caused to the Domestic Industry due to imports from subject countries, and do not take into account the impact of imports from other countries.
- e. Injury, if any, to the Domestic Industry is not due to imports but is due to fluctuation in the prices of raw material, tight liquidity situation etc. as admitted by Chemplast in its Annual Report 2012
- f. The Domestic Industry is unable to meet the domestic demand of the Indian Industry thus necessitating exports of the subject goods.
- g. The Authority decide to impose an anti dumping duty, it shall calculate such duty pursuant to the “lesser duty” rule.
- h. The Domestic Industry is a habitual protection seeker and has been the beneficiary of anti-dumping duties since 1993 against various products in PVC industry. It is obvious that the Domestic Industry relies on the imposition of anti dumping duties to compete in the market.
- i. There are no material particulars of any causal link between the subject imports and the alleged injury to the domestic industry. Therefore the Authority is requested to terminate these proceedings immediately for lack of evidence of dumping, injury and in the public interest.
- j. The anti dumping duties are already running in respect of 8 countries. Thus the domestic industry is effectively blocking entire imports
- k. Admittedly they have not claimed any volume injury attributable to imports. The volume injury figures are less prone to manipulation compared to price injury figures especially when domestic industry claims to be a multi product company.
- l. Production and sale of domestic industry has gone up and domestic industry is running at 99% capacity and has no spare capacity to substitute the goods being imported into India.
- m. If domestic industry is claiming price injury, its injury must be attributable to either inefficient procurement of raw material or inefficient manufacturing of in house raw materials.
- n. In absence of volume injury and in absence of price injury attributable to imports and on account of injury attributable to factors other than dumping, no ADD can be recommended.
- o. The Domestic Industry has not invested enough in technology up-gradation as well as capacity expansion and they are incapable of meeting market demands.
- p. All the key injury factors of the Applicant have shown an improvement not only in the POI but also over the course of the injury period.
- q. The claim of threat of material injury requires “convincing reason” and cannot be a mere “allegation, conjecture or remote possibility”.
- r. The decrease in market share of Applicant as a result of lack of capacity and inefficiencies of Applicant
- s. The Meagre volume of imports from subject countries are not capable of causing injury to domestic industry
- t. The possibility of sales of Finolex causing any injury to the Applicant is higher than the possibility of imports from the subject countries impacting the Applicant.
- u. In the absence of such separation and distinction of the different injurious effect, the investigating authorities would have no rational basis to conclude that the dumped imports are indeed causing the injury which, under the Anti-Dumping Agreement, justifies the imposition of anti-dumping duties.

92. Examination of the Designated Authority

- a. As regards the issue that there is huge demand-supply gap in the country and PVC Resin business in India is absolutely a monopoly; the Authority is of the considered view that the AD Rules do not stipulate that the domestic industry must meet the entire demand of the PUC in the country or even a particular percentage thereof. Further, there is no prohibition that a single industry that is being injured on account of dumping cannot seek redressal under the AD mechanism. If any industry is resorting to monopolistic practices, the interested parties are at liberty to seek appropriate redressal before appropriate authorities. However, the investigation has shown that the domestic industry has suffered injury because of dumping of the product in the Country. It is also noted that the purpose of anti dumping duty is not to restrict the imports but to eliminate their injurious effect on the domestic industry and in fact, imports have continued from countries attracting anti dumping duty.
- b. The Authority has examined various economic factors and indices listed under the law as are enshrined under the AD Rules. Besides, the Authority has taken due note of various other submissions of the interested parties on injury to the domestic industry and has analyzed injury to the domestic industry considering the facts available on record and the applicable law in the respective heads. The authority notes the Rules does not provide that the domestic industry should have necessarily suffered injury in respect of each and every injury parameter.
- c. As regards injury due to other factors including by M/s Finolex limited as argued by the opposing interested parties, no evidence has been provided by any of the Interested parties to substantiate their claim. The investigation has also not shown that the domestic industry has suffered injury due to these other factors. Imports from Mexico are not negligible considering the legal provisions in this regard.
- d. As regards the argument that the imports have not had any adverse price effect, the authority notes that the imports are undercutting the domestic prices, which has led to price suppression/depression in the market. Resultantly, the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of various economic /financial parameters such as profits, cash profits and return on investment.

- e. As regards protection of anti dumping duty earlier sought by the petitioner, the authority notes that the recommendations for imposition of anti dumping duty have been made only when the investigation has shown existing of dumping of the product under consideration and consequential injury to the domestic industry.
- f. The authority noting the contention of the Domestic Industry to include freight and credit cost adjustments in the landed value/ NIP holds that it has determined the landed value as per its consistent practice and compared the same with NIP determined in accordance with Annexure III of the ADD Rules.

Conclusion on injury

93. It is thus seen that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from subject countries in absolute terms. The imports have increased significantly in relation to consumption and production of the product in India. Imports have thus increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression and depression. Effect of dumped imports has been to prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree. Imports have prevented the domestic industry from raising its prices in proportion to cost increases. The domestic industry is suffering significant price underselling. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of inventories, market share, profits, cash profits and return on investment. Inventories with the domestic industry increased. Further, as a result of significant price undercutting and suppression, profitability of the domestic industry deteriorated so significantly that the domestic industry was suffering significant financial losses. Further, the domestic industry suffered cash losses and negative return on investment during the POI. The Authority holds that the domestic industry has suffered material injury.

Threat of Material Injury

94. The applicants have claimed that, in addition to material injury, there is the threat of further material injury in the present case.

Annexure II to the Rules provides as under in this regard.

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter-alia, such factors as

- (a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - (b) sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - (c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and,
 - (d) inventories of the article being investigated.”
95. Submissions made before the Authority with regard to threat of material injury have been examined.
 - a. Until 2009-10 there were no exports of subject goods from Norway and small quantities of exports from Mexico. One producer having a Pan-Europe presence runs a mega-capacity PVC plant in Europe. Norway capacities were established in 1950s. There is a direct link between the imposition of anti dumping duty and the producer starting supplies from Norway. The European producer has shifted supplies from Norway plant and therefore it must be considered that the exporter alone has significant potential to cause significant injury to the domestic industry.
 - b. That, according to their own website the producer has a capacity of 110 Kilo-Tonnes for production ‘Emulsion PVC’ which is divided between two plants in Norway and Sweden.
 - c. The volume of imports has increased significantly in a relatively short period.
 - d. The price undercutting is significant. The imports are entering at such prices that there is strong likelihood of further importation. The significant price undercutting is despite reduction in the prices by the domestic industry in an effort to reduce the significant price gap.

Conclusion on Threat of Material Injury

96. Examination of information on record shows the dumping could cause injury to the domestic industry. The factors identified above clearly show existence of a threat of further injury.

Causal Link

97. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry has been as follows:

Imports from third countries

98. The Authority has examined the imports data of the subject goods from DGCI&S. It is noted that imports from third countries are either already attracting duty or the volume is de-minimis and could not have caused claimed

injury to the domestic industry.

Contraction in demand

99. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown improvement during the injury period. It has increased in the POI from the base year and the previous year. Possible contraction in demand could not have caused injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

100. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Developments in technology

101. The Authority notes that the technology adopted by the domestic industry is comparable with that adopted by producers all over the world. There is no significant difference in the manufacturing process of Indian producers and foreign producers. In fact, domestic producers have been manufacturing the product for quite some time, and the technology for production is fairly established.

Changes in pattern of consumption

102. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

Export performance

103. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In any case, the domestic industry has considered domestic performance wherever possible.

Performance of the domestic industry with respect to other products

104. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

Productivity of the domestic industry

105. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production. Deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.

Factors establishing causal link

106. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from subject countries. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds.

- a) Imports are undercutting the prices of the domestic industry. The volume of imports has increased significantly.
- b) The presence of dumped imports in the country is preventing the domestic industry from increasing its prices in proportion to the rise in costs. The domestic industry is rather forced to reduce their price during period of investigation despite increase in cost.
- c) The subject imports are underselling the product sold by the domestic industry.
- d) Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits is a direct consequence of dumped imports.
- e) The market share of dumped imports increased over the injury period, with a consequent decline in the market share of the domestic industry.

Conclusion on Injury and Causation

107. From the above examination of injury and causal link, the Authority holds that the domestic industry has suffered injury as a result of dumping of the subject goods from subject countries. There has been a significant increase in the volume of dumped imports from China in absolute terms throughout the injury period and in relation to production and consumption in India. The dumped imports are significantly undercutting the domestic prices. The dumped imports have had significant adverse effect on the prices of the domestic industry in the market. The dumping margin for the subject country has been determined and is considered significant. Market share of the domestic industry has significantly declined whereas that of subject imports has significantly increased. Performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investments. Inventories have increased. The Authority concludes that the domestic industry has suffered injury as a result of dumped imports from the subject country.

108. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports to determine injury margin. The injury margins have been determined as follows:

Injury Margin

Particulars	Unit	All Producers/ Exporters (Norway)	M/s Mexichem (Mexico)	Other Producers/ Exporters
-------------	------	---	-----------------------------	----------------------------------

				(Mexico)
Non-Injurious Price	US\$/MT	***	***	***
Landed Price	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin (%)	%	***	***	***
Injury Margin (Range %)	Range	30-40	25-35	30-40

109. The level of dumping margins and injury margins as determined are considered significant.

G. Indian industry's interest & other issues

110. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
111. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
112. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

H. Recommendations

113. After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from the subject countries below normal value.
 - The domestic industry has suffered injury on account of subject imports from subject countries.
 - The injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.
114. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Anti-dumping Rules and having established a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed value of imports of product under consideration has been compared with the non-injurious price of the domestic like product produced by domestic industry determined for the period of investigation.
115. Accordingly, anti-dumping duty equal amount indicated in the column 8 of the table below, to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central government on all imports of subject goods originating in or exported from subject country.

DUTY TABLE

SN	Heading /Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Norway	Norway	Any	Any	319	MT	US\$
2	--Do--	--Do--	Norway	Any country other than Mexico	Any	Any	319	MT	US\$
3	--Do--	--Do--	Any country other than Mexico	Norway	Any	Any	319	MT	US\$
4	--Do--	--Do--	Mexico	Mexico	Mexichem Resinas Vinilicas, S.A. DE C.V.	Mexichem Resinas Vinilicas, S.A. DE C.V.	309	MT	US\$
5	--Do--	--Do--	Mexico	Mexico	Any combination other than at Sl.No.4		429	MT	US\$
6	--Do--	--Do--	Mexico	Any country other than Norway	Any	Any	429	MT	US\$
7	--Do--	--Do--	Any country other than Norway	Mexico	Any	Any	429	MT	US\$

Further Procedure

116. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 8C, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

117. An appeal against this finding after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

J. K. DADOO, Designated Authority